

HAND BOOK ON FACILITIES / AMENITIES TO THE FORCE PERSONNEL & READY RECKONER FOR RETIREMENT BENEFITS

Prepared by: Welfare Directorate, FHQ

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

बल कार्मिकों को दी जाने वाली सुविधाओं और सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित रेडीरेकनर

सौजन्य :कल्याणनिदेशालय, बल मुख्यालय।

FACILITIES / AMENITIES TO THE FORCE PERSONNEL

CISF has been extending various facilities / amenities to the Force personnel. These are as under :-

1. <u>E-GRIEVANCE</u>

For speedy and systematic redressal of grievances of personnel, an online e-grievance system has been developed. The seamless integration of addressing the grievances at each level of authority, as envisaged in this new system, will accrue the necessary benefit of, both, individual satisfaction and organization, that will enhance the overall effectiveness in performing duty. Grievance lodged in E-grievance will be monitored centrally at CISF HQrs by Welfare Directorate and DIG/Welfare is the Nodal officer.

Ref: letter No. E-41022/E-grievance/Welfare/2016/805 dated 16.08.2016)

बल कार्मिकों को दी जाने वाली सुख/सुविधाएं

केऔसुब अपने बल कार्मिकों को विविध प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता रहा है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है:—

1. ई-शिकायत

कार्मिकों की शिकायतों के त्वरित एवं व्यवस्थित निवारण के लिए, एक ऑनलाइन ई-ग्रिवांस प्रणाली विकसित की गई है। इस नई प्रणाली में, परिकल्पना के अनुसार प्राधिकरण के प्रत्येक स्तर पर शिकायतों के समेकित समाधान से व्यक्ति और संगठन दोनों लाभान्वित होंगे जिसके फलस्वरूप कर्त्तव्यों के निश्पादन में समग्र रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ई-शिकायत में दर्ज की गई शिकायतों की निगरानी केन्द्रीय रूप से केऔसुब मुख्यालय में कल्याण निदेशालय द्वारा की जाएगी और उप महानिरीक्षक / कल्याण नोडल अधिकारी होंगे।

<u>संदर्भः</u> पत्र संख्या ई.410222 / ई-शिकायत / कल्याण / 2016 / 805 दिनांक 16.08.2016)

2. EX-GRATIA (GRANTED BY MHA)

(a) Ex-Gratia lump-sum compensation is available to the families of Central government Civilian employees, who die in the performance of their bonafide official duties under various circumstances. The amounts of ex-gratia lump- sum compensation w.e.f. 01.01.2016 are as under:-

(i)	Death occurring due to accidents in the course of performance of duties	25 lakhs
(ii)	Death in the course of performance of duties attributed to acts of violence by terrorists, anti-social elements. Etc	25 lakhs
(iii)	Death occurring in border skirmishes and action against militants, terrorists, extremists, sea pirates.	35 lakhs
(iv)	Death occurring while on duty in the specified high altitude, un accessible border posts, etc. on account of natural disasters, extreme weather conditions.	35 lakhs
(v)	Death occurring during enemy action in war or such war like engagements, which are specifically notified by Ministry of Defence and death occurring during evacuation of Indian Nationals from a war-torn zone in foreign country.	45 lakhs

(b) Ex-gratia lump sum compensation to CAPFs personnel who are boarded out of service on account of disability attributable to or aggravated in service are eligible. The rates are as under:-

(i)	100%	20 lakhs
	disability	
(ii)	For cases less	The amount of Ex-gratia may
	than 100%	be reduced in proportion to
	disability	the degree of disability.

Ref: Letter No. E-41022/Ex-gratia/Wel/2016-1835 dated 06.09.2016 and DOP&PW OM No. 38/37/2016-P&PW(A) (i) dated 04.08.2016 b. MHA (R&W) OM dated 07.06.2017

3. WELFARE AND REHABILITATION BOARD

The need to have a dedicated welfare organization for CAPFs personnel has been engaging the attention of the MHA and it was decided to set up a Welfare & Rehabilitation Board (WARB) to look after the Ex-CAPFs personnel, those medically boarded out and the widows/dependents of those who die in harness. The

अनुग्रहराशि (गृह मंत्रालय द्वारा)

(क) केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के परिजनों के लिए एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति की राशि उपलब्ध है जो विविध परिस्थितियों में अपनी वास्तविक आधिकारिक कर्त्तव्यों के निष्पादन में दिवंगंत होते हैं । 01.01.2016 से एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति की राशि निम्नानुसार है:—

i)	कर्त्तव्यों के निष्पादन के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु	25 लाख
(ii)	आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा की गई हिंसात्मक कार्रवाई के कारण कर्त्तव्यों के निष्पादन के दौरान होने वाली मृत्यु	25 लाख
(iii)	सीमा पर हुई मुठभेड़ो और उग्रवादियों, आतंकवादियों, अतिवादी, समुद्री लुटेरों के विरूद्ध कार्रवाई के दौरान मृत्यु	35 लाख
(iv)	प्राकृतिक आपदाओं, मौसम संबंधी विपरीत स्थितियों के कारण, विशिष्ट उच्च अक्षांश पर, दुर्गम सीमापार चौकियों आदि पर कर्त्तव्य पर रहते हुए मृत्यु	35 लाख
(v)	रक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित युद्ध अथवा युद्ध जैसी अन्य रिथितियों के दौरान हुई मृत्यु और विदेश में युद्ध ग्रसित क्षेत्र से भारतीय नागरिकों के बचाने के दौरान हुई मृत्यु	45 लाख

(ख) सीएपीएफ के ऐसे कार्मिक जो सेवा से अशक्तता की वजह से अथवा सेवा से निकाले गए हैं, उन्हें एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की जाएगी।दरें निम्न प्रकार से है:—

(i)	100% अशक्तता	20 लाख
(ii)	100% अशक्तता से कम के मामलों में	अनुग्रह की राशि अशक्तता के स्तर के अनुपात में कम की जा सकतीहै।

संदर्भः पत्र संख्या ई.— 41022/एक्स-ग्रेसिया/वेल. /2016—1835 दिनांक 06.09.2016 औरडीओपी एण्ड पीडब्ल्यू का.ज्ञा.सं. 38/37/2016—पी एण्ड पीडब्ल्यू (ए) (i) दिनांक 04.08.2016. बी. एमएचए (आर एण्ड डब्ल्यू) का.ज्ञा. दिनांक 07.06.2017)

3. कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड

सीएपीएफ कार्मिकों के लिए एक समर्पित कल्याण संगठन के होने की आवश्यकता गृहमंत्रालय का ध्यान आकर्षित करती रही है और भूतपूर्व सीएपीएफ कार्मिकों, चिकित्सीय रूप से बाहर किए गए और कर्त्तव्य पालन में मारे गए कार्मिकों की विधवाओं/आश्रितों की देखभाल करने के लिए कल्याण एवं पुर्नवास बोर्ड (वार्ब) की following major activities are being done by the Welfare and Rehabilitation Board:-

- (a) To arrange vocational training for empowerment of retired personnel and NOKs of deceased Force personnel.
- (b) Arranging counseling (In-house/Professional) in selfemployment and alternative employment to retirees as also to the NOKs of deceased Force personnel.

Ref: MHA OM No. 27011/37/2007-R&W dated 17.05.2007

4.ANUBHAV (PMO INITIATIVE)

The Dept. of Pension &Pensioners's Welfare has launched an online system viz. "Anubhav" to provide a platform for the retiring Central Government employees to showcase commendable work done during service. It will provide satisfaction to the retiring employee and also act as a motivator for serving employees. The submission on "Anubhav" is voluntary. However, Unit, at the time of retirement of personnel, take the filled up Anubhav form and upload on the portal.

(Letter No. E-41022/Anubhav/Welfare/2015/383 dated 23.04.2015)

5.KENDRIYA POLICE KALYAN BHANDAR

To cater the need of daily use items of serving & retired Force personnel, 19 Central Police Master Canteens and 222 Subsidiary Canteens have been opened in CISF Units.

50% GST concession is being given to the KPKB beneficiaries for purchasing items from KPKB Subsidiary bhandar, since 01.04.2024. A detailed guideline has been issued by Wel. Dte. vide letter No. 1988 dated 10.04.2024 & (4167) dated 09.08.2024.

Ref: MHA (R&W) OM no. 27011/18/2006-R&W dated 18.09.2006

6.PRIME MINISTER'S SCHOLARSHIP SCHEME (PMSS)

- (i) Wards/Widows of personnel killed in action (all rank) and Wards/Widows of retired and serving CISF personnel (below officer rank) for pursuing first professional degree/programme and having minimum 60% marks in 10+2/Diploma/Graduation or equivalent, are eligible for the Prime Minister's Scholarship.
- (ii) Rs 36,000/- for girls & Rs. 30,000/- for boys per annum.

Ref: WARB (MHA) letter no. WARB-44/PMSS/2024-25/981-93 dated 11.07.2024 स्थापना करने का निर्णय किया गया। कल्याण एवं पुर्नवास बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां की जाती रही हैं :–

- (क) सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं मारे गए बल कार्मिकों के नजदीकी संबंधियों के सशक्तिकरण के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- (ख) सेवानिवृत्त एवं मृत बल कार्मिकों के नजदीकी सम्बन्धियों के लिए भी स्व—रोजगार एव वैकल्पिक रोजगार, कांउसलिंग (इन—हाउस / व्यवसायिक) का प्रबंध करना।

संदर्भः गृह मंत्रालय के ओ.एम. संख्या 27011/37/2007–आर व डब्लू दिनांक 17.05.2024

4. अनुभव (पीएमओ की पहल)

पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग ने 'अनुभव' नाम से एक ऑनलाइन प्रणाली की शुरूआत की है तािक सेवािनवृत्त होने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचािरयों को उनकी सेवा के दौरान उनके द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्यों को दर्शाने के लिए एक मंच मिल सके । इससे सेवािनवृत्त होने वाले कर्मचािर संतुष्ट होंगे और इससे सेवारत कािर्मिक भी प्रेरित होंगे। इस 'अनुभव' मंच में शािमल होना स्वैच्छिक है। लेकिन फिर भी संबंधित इकाई कािर्मिक का सेवािनवृत्त के समय उनके द्वारा भरे गए ''अनुभव प्रपत्र'' को पोर्टल पर अपलोड करती है।

(पत्र संख्या ई.—41022/अनुभव/कल्याण/2015/383 दिनांक 23.04.2015)

5. केन्द्रीय पुलिस कल्याण भण्डार

सेवारत एवं सेवानिवृत्त बल कार्मिकों की दैनिक आवश्यकताओं की मदों को पूरा करने के लिए केऔसुब इकाईयों में 19 केन्द्रीय पुलिस कैंटीनें एवं 222 सहायक भण्डार खोली गई हैं।

केपीकेबी लाभार्थियों को केपीकेबी सहायक भण्डार से सामान खरीद पर दिनांक 01.04.2024 से 50 प्रतिशत जीएसटी रियायत दी जा रही है । इस बाबत कल्याण निदेशालय द्वारा पत्रांक (1988) दिनांक 10.04.2024 एवं (4167) दिनांक 09.08.2024 के तहत दिशा—निर्देश जारी की गई है ।

संदर्भः गृह मंत्रालय (आर.एण्ड डब्लू) ओ.एम. संख्या 27011/18/2006—आर—एण्ड डब्लू दिनांक 18.09.2026

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस)

- (i) कार्रवाई में मारे गए कार्मिकों (सभी पद) के बच्चे /विधवाएं और सेवानिवृत्त और सेवारत केऔसुब कार्मिकों (अधिकारी पद के नीचे) के बच्चे /विधवाएं प्रथम व्यावसायिक डिग्री / कार्यक्रम को करने के लिए और 10+2 / डिप्लोमा / ग्रेजुएशन अथवा समतुल्य में न्यूनतम 60% अंक लाने वाले विद्यार्थी प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।
- (ii) प्रतिवर्ष रू. 36,000/—लड़कियों के लिए और रू. 30,000/—लड़कों के लिए।

संदर्भः वार्ब (गृह मंत्रालय) पत्रांक वार्ब–44 / पीएमएसएस / 2024–25 / 981–93 दिनांक 11.07. 2024

7.QUOTA IN MBBS/BDS

Wards of personnel killed in action, retired and serving CISF personnel can avail quota in 26 MBBS and 03 BDS seats reserved for all CAPFs by MHA.

Ref: MHA OM No. I-45020/245/2023-Pers.II dated 22.08.2024

7. एमबीबीएस / बीडीएस में कोटा

कार्रवाई में मारे गए कार्मिकों के बच्चे, सेवानिवृत्त एवं सेवारत केऔसुब कार्मिकों के बच्चे गृह मंत्रालय द्वारा सभी सीएपीएफ के लिए आरक्षित 26 एमबीबीएस और 03 बीडीएस सीटों के लिए कोटे का लाभ उठा सकते हैं।

संदर्भः गृह मंत्रालय के ओ.एम. संख्या आई-45020/245/2023-कार्मिक-2 दिनांक 22.08.2024

8. <u>CENTRAL WELFARE FUND</u>:-<u>WELFARE FUND SUBSCRIPTION</u>

S No	LEVEL	SUBSCRIPTION AMOUNT
1	Sr.CO & above	Rs.170/- pm
2	AC to Commandant	Rs.120/- pm
3	SI to Inspector	Rs.70/- pm
4	Constable to ASI	Rs.50/- pm

(a) Outright grant equivalent to 10% of unpassed medical expenses subject to maximum of Rs. 50,000/- is given to serving personnel in case of serious injury or sickness of self or family requiring prolonged or expensive treatment in cases of Kidney Transplant, Bye-pass Surgery, Cancer, Brain Hemorrhage, AIDS, Paralysis or Amputation of any organ of the body, or any other serious ailment on the merit of each case.

(Reference CISF Contributory Welfare Fund Rules-2022 – Rule 8(2) (a) (ii)).

(b) An amount upto 1,00,000/-is given to the Force personnel sustained injury during action/active duty in the following category:-

Category	Injury level		Financial assistant
'A'	Minor injury		Rs. 4,000/-
'B'	Grievous injury-		Rs. 25,000/-
	Hospitalization		
'C'	Grievous injury-bullet		Rs. 50,000/-
'D'	Grievous ir	ijury-	Rs. 1,00,000/-
	permanent disability		

Note: Revised rate will be affected from 01.02.2022.

(Reference CISF Contributory Welfare Fund Rules-2022 – Rule 8(1) (C) (I & ii).

(c) Ex-gratia payment of Rs.25,000/- is paid to the Next of kin of deceased force personnel for funeral rites etc.

(Reference CISF Contributory Welfare Fund Rules-2022 – Rule 8(1) (a) (i)).

केन्द्रीय कल्याणकोश

क्रम	पद	मासिकअंशदान
सं0		
1	वरिष्ठ कमांडेण्ट एवं उच्च पद	रूपये 170/-
2	स.कमांडेण्ट से कमांडेट तक	रूपये 120/-
3	उ.निरीक्षक से निरीक्षक तक	रूपये 70 / -
4	आरक्षक से सउनि तक	रूपये 50 / -

(क) पास न किए गए चिकित्सा बिलों का 10 प्रतिशत समतुल्य त्विरत अनुदान अधिकतम रू. 50,000 / — सेवारत बल सदस्य को स्वयं की अथवा परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी, गुर्दा प्रत्यारोपन, बाय—पास सर्जरी, कैंसर, ब्रेन हैमरेज, एड्स, लकवा अथवा शरीर के किसी अंग का अंगच्छेदन के मामले में अथवा किसी अन्य गंभीर बीमारी के लिए, प्रत्येक मामले की वरीयता के आधार पर अपेक्षित दीर्घ अथवा खर्चीले इलाज के लिए दिया जाता है।

(संदर्भ केऔसुब अंशदान कल्याण निधि नियमावल—2022 के नियम 8(2) (a) (ii))

(ख) बल कार्मिकों को कार्रवाई / कर्त्तव्य पालन के दौरान हुई चोट के लिए अधिकतम रू. 1,00,000 / –की राशि निम्नलिखित चोट की श्रेणी में प्रदान की जाती है।

श्रेणी	चोट का स्तर	वितिय सहायता
'ए'	ममूली चोट	₹5. 4,000
'बी'	गंभीर चोट-अस्पताल में भर्ती	रू. 25,000
'सी'	गंभीर चोट—गोली	₹50,000
'डी'	गंभीर चोट—स्थायी विगलांगता	रू. 1,00,000

नोटः संशोधित दर दिनांक 01.02.2022 से प्रभावी होगी ।

(संदर्भ केऔसुब अंशदान कल्याण निधि नियमावल—2022 के नियम 8(1) (c) (i &ii))

(ग)रू. 25,000 / — की अनुग्रह राशि दिवंगत बल कार्मिक के नजदीकी संबंधी को अंतिम संस्कार संबंधी कार्य के लिए प्रदान की जाती है।

(संदर्भ केऔसुब अंशदान कल्याण निधि नियमावल–2022 के नियम 8(1) (a) (i)) (d) Souvenir upto Rs. 1,000/- is provided at the time of retirement of the Force personnel and expenditure upto Rs. 40/- per head may be utilized for farewell at the time of retirement of force personnel from Contributory Welfare Fund.

(Reference CISF Contributory Welfare Fund Rules-2022 – Rule 8(2) (d) (iii)).

(e) An amount of Rs 50,000/- as one time financial assistance is given to the disabled personnel who lost their limbs in action/active duty w.e.f. 01-02-2022.

Note: This scheme will be affected from 01.02.2022.

(Reference CISF Contributory Welfare Fund Rules-2022 – Rule 8(2) (d) (i)).

(f) Loans for marriage [self & dependents (daughter, sister & son)], higher education, purchase of computer, purchase of plot/Flat/construction of house for residential use/ repair of house caused by natural calamity (only one time in entire service), medical treatment are being provided from Welfare fund at nominal rates of interest.

(Reference CISF Contributory Welfare Fund Rules-2022 – Rule 8(2) (b) (iii) & 8(2)(d)(ii & vii).

(g) Provision for incurring expenditure upto Rs. 2,000/for paying last tribute at the time funeral/last rites of retire personnel.

(Reference CISF Contributory Welfare Fund Rules-2022 – Rule 8(2) (d) (x) (b) & SOP issued vide Wel. Dte. letter no. (4480) dated 01.11.2024.

9. WELFARE MEASURES FOR WARDS

(A) DG'S MERIT AWARD IN ACADEMICS & SPORTS

Wards of serving and personnel killed in action are eligible to get DG's Merit Award in Academics (Passed in 12th standard) & Sports.

- (i) Academics (for 150 wards):
 - a. Rs.27,000/- for girls and Rs.25,000/- for boys for 95% and above marks (one time).
 - b. Rs.23,000/- for girls and Rs. 20,000/- for boys for marks between 90% to 95% (one time)

(घ) बल कार्मिकों को सेवानिवृत्त के समय रू. 1,000/— की राशि का स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान की जाती हैं तथा रूपये 40/— प्रति बल सदस्य के अनुसार, सेवानिवृत्त बल सदस्यों की विदाई अवसर पर अंशदायी कल्याण निधि से खर्च किया जा सकता है।

(संदर्भ के औसुब अंशदान कल्याण निधि नियमावल—2022 के नियम 8(2) (d) (iii)).

(ड) एक बार की वितीय सहायता के रूप में रू० 50,000 की राशि उन विकलांग कर्मियों को दी जाती है जिन्होंने कार्रवाई/सिक्य डयुटी में अपने अंग खो दिए हैं जो दिनांक 01.02.2022 से लागू होगा ।

नोटः यह योजना दिनांक 01.02.2022 से प्रभावी होगी ।

(संदर्भ केऔसुब अंशदान कल्याण निधि नियमावली—2022 के नियम 8(2) (d) (i)).

(च) शादी {स्वयं एवं अश्रितों (पुत्री, बिहन एवं पुत्र)}, उच्चिशिक्षा, कम्प्यूटर की खरीद, प्लॉट/फ्लैट की खरीद/स्वयं के रहने के लिए मकान का निर्माण/रिपेयर यदि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो (सेवा के दौरान एक बार), चिकित्सा, इलाज आदि के लिए ऋण ब्याज की बहुत कम दरों पर कल्याण निधि से ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं।

(संदर्भ के औसुब अंशदान कल्याण निधि नियमावली—2022 के नियम 8(2) (b) (iii) & 8(2)(d)(ii & vii).

(छ)सेवानिवृत्त कर्मियों के अंतिम संस्कार के समय अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए 2,000 रुपये तक के खर्च का प्रावधान।

(संदर्भ केऔसुब अंशदान कल्याण निधि नियमावली—2022) के नियम 8(2) (d) (x) (b) तथा एसओपी जो कल्याण निदेशालय के पत्रांक (4480) दिनांक 01.11.2024 के तहत जारी हुई है

9. बच्चों के लिए कल्याणकारी उपाय :--

(अ) <u>शैक्षणिक एवं खेलों में म</u>हानिदेशक उत्कृष्टता अवार्ड।

कार्रवाई में मारे गए और सेवारत कार्मिकों के बच्चे शैक्षिक (12वीं. की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर) और खेलों में डीजी मेरिट पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र हैं।

(i)शैक्षिक (150 बच्चे):-

- (क) 95 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने के लिए, लड़िकयों के लिए रूपए 27,000/—और लड़कों के लिए रूपए 25,000/—(एक बार)
- (ख) 90 प्रतिशत से 95 प्रतिशत के बीच के अंकों के लिए, लड़िकयों के लिए रूपए 23,000/—और लड़कों के लिए रूपए 20,000/—(एक बार)

(ii) खेलकूद (10 बच्चे):-

(ii) Sports: (for 10 wards)

a. Rs.27,000/- for girls and Rs.25,000/- for boys

(Reference CISF Contributory Welfare Fund Rules-2022 – Rule 8(2) (b) (i)).

(B) <u>DG'S SCHOLARSHIP EXCLUSIVELY FOR WARDS OF MARTYRS</u>

To provide financial assistance to the families of deceased personnel and to encourage/promote education to the wards of Martyrs, DG's Scholarship exclusively for wards of martyrs has been introduced in CISF. The benefits under this schemes are as under:-

Category	Class	Rate of Scholarship (P.A.)
Category – A	Class 1 st to Class 8th	Rs. 6000 P.A
Category – B	Class 9 th to Class 12 th	Rs. 12000 PA
Category - C	Diploma/Graduation/ PG	Rs. 18000 PA

(Reference CISF Contributory Welfare Fund Rules-2022 – Rule 8(2) (b) (ii)).

(क) लड़कियों के लिए रूपए 27,000 / — और लड़कों के लिए रूपए 25,000 / —

(संदर्भ केऔसुब अंशदान कल्याण निधि नियमावली—2022 के नियम 8(2) (b) (i)).

(ब) शहीदों के आश्रितों को महानिदेशक विशेष छात्रवृत्ति

मृतक कार्मिक के परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए शहीदों के बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने / बढ़ावा देने के लिए महानिदेशक छात्रवृत्ति के औसुब के विशेष रूप से शहीदों के बच्चों के लिए शुरू की गई है । इस स्कीम के तहत लाभ निम्नानुसार हैं:—

श्रेणी	कक्षा	छात्रवृति दर (प्रति वर्ष)
श्रेणी —ए	कक्षा 1 से कक्षा 8	रूपए 6000 प्रतिव र्ष
श्रेणी —बी	कक्षा ९ से कक्षा १२	रूपए 12000 प्रतिव र्ष
श्रेणी –सी	डिप्लोमा / स्नातक / स्नातकोत्तर	रूपए 18000 प्रतिव र्ष

(संदर्भ केऔसुब अंशदान कल्याण निधि नियमावली—2022 के नियम 8(2) (b) (ii)).

10. **RISK SAVING FUND: SUBSCRIPTION**

Subscription	Elements
Rs.500/- pm w.e.f. 01.02.2022	Saving Elements - Rs.250/- Risk Elements - Rs.250/-

Risk Fund provides financial assistance to the families of personnel who die while in service, to those who are medically boarded out of service on account of invalidation and in the case missing. The Scheme is as under:-

(a) In case of death/missing and invalidation out of service with 100% disability

(.)	.	,	
(i)	grant on death of member of the force	Rs. 25 Lakh (Rs.20 lakh to NOK pl Rs. 5 lakh to the parents).	us
(ii)	Killed in action	Rs. 35 Lakh (Rs.28 lakh to the NOK and Rs. 7 lakh to parents.	S
(iii)	For Missing personnel	Rs. 25 lakh (Rs. 20 lakhs to NOK 8 lakhs to Parents) in two installments in two installments. 1st instalment of Rs. 10 lakhs (Filakhs to NoK and 2 lakhs to parafter six months from the dat missing and 2nd instalment of Rs. 15 lakhs (Relakhs to NOK and 3 lakhs to parafter seven year]	nts Rs. 8 ents) e of
(iv)	Invalidation	Upto 25% = Rs. 5 lakhs 26% to 50% -10 lakhs 51% to 80%- 15 lakhs Above 80% - 20 lakhs	
	case disability Benefit for dis the serving pe case of boo percentage of paid. In ca	also extended to serving personne occur on or after 1 st February, 2 bility will be extended only one time onnel during entire servce. Howeveded out from service with hillsability, only difference amount with the of normal retirement of disability the paid.	er, in gher

जोखिम बचाव निधि 10.

मसिक अं श दान	अवयव / अंश
रू० 500/PM दिनांक 01-02- 2022 से	बचत अंश : रूपये 250/— जोखिम अंश :रूपये 250/—

जोखिम निधि उन कार्मिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करवाती है जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हो जाती है, जो अशक्तिकरण के कारण चिकित्सीय रूप से बाहर कर दिए जाते हैं तथा बल सदस्य के गुम होने की अवस्था में । योजना (स्कीम) निम्नानुसार

(क) मत्य होने / गम होने और सेवा से अशक्तिकरण के मामले में

	यु हान/गुम हान अ तेशत दिव्यांगता के स		सवा स अशाक्तकरण क मामल म			
(i)	बल सदस्य की मृत्युपर एकमुश्त	:	रूपए 25 लाख (रूपए 20 लाख उत्तराधिकारी को और 5 लाख			
	अनुदान	·	माता–पिता को)			
(ii)	कार्रवाई के दौरान	:	रूपए 35 लाख (रूपए 28 लाख			
(11)	मारे जाने पर	:	उत्तराधिकारी को और 7 लाख			
			माता–पिता को)।			
(iii)	गुम ्हुए बल	:	रूपए 25 लाख (रूपए 20 लाख			
	सदस्यों के लिए	:	उत्तराधिकारी को और 5लाख			
			माता–पिता / उत्तराधिकारी को) दो किश्तों में ।			
			प्रथम किश्त 10 लाख (रूपए 08 लाख उत्तराधिकारी को और 2 लाख माता—पिता/उत्तराधिकारी को) गुम होने की तिथि से 6 माह बाद ।			
			द्वितीय किश्त 15 लाख (रूपए 12 लाख उत्तराधिकारी को और 3 लाख माता—पिता / उत्तराधिकारी को) गुम होने की तिथि से 7 वर्ष बाद ।			
(iv)	अशक्तिकरण	:	25% तक — रू. 5 लाख 26% से 50% तक— रू. 10 लाख			
			51% से 80% तक —रू. 15 लाख 80% से अधिक . —रू. 20 लाख			
			करवरी,2022 को या उसके बाद			
			थित में सेवारत कर्मियों के लिए भी			
	विस्तारित किया गया है । विकलांगता के लिए लाभ पूरी					
	सेवा के दौरान सेवारत कर्मियों को केवल एक बार					
	स्वीकृत किया जायेगा । हॉलांकि, विकलांगता के उच्च					
	प्रतिशत के साथ सेवा से बोर्डिड आउट किये जाने के मामले में केवल अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा ।					
	विकलांग कर्मियों की सामान्य सेवानिवृत्ति के मामले में,					
	सामान्य सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया जायेगा ।					
L	रतना च राचा म्यूरस रामा वर्ग युमसाम विवस भावता ।					

(b) Refund of Saving Elements of contributions with compound interest is given to the personnel retiring from service / dismissed / discharged / removed from service etc.

Note:-

i. The revised rate will be effected from 01.02.2022.

ii. Payment to the parents in the above cases will be made only after assessing the financial condition of the parents by Sector level committee. In case of financial condition of parents being sound, the entire amount will be paid to the NOK.

(Letter no.E-41014/AGBM/NGF/Wel/2017/1299 dt. 08.12.2017, order no. 510 dated 16.02.2022& RS Fund Rule Para-6)

11. SANRAKSHIKA

CISF Wives Welfare Associations "Sanrakshika" provides platform for wards of CISF personnel to showcase their talent, inculcate a sense of pride to the wives of personnel and helps CISF personnel to discharge their duties without stress as the well being of the families is being taken care of by the support system provided by "Sanrakshika".

12. "Project Mann"

The CISF Wives Welfare Association has entered into an MoU with Aditya Birla Education Trust (ABET) on 08.11.2024 for providing counselling and support to CISFpersonnel and their families, to ensure mental wellbeing and emotional health support. Helpline number (07968170455) is available on M.Power & Employees Corner.

Aditya Birla Education Trust (ABET) through "Project Mann" will provide mental and emotional support to Sanrakshika members and their families by addressing and alleviating the commonly faced challenges relating to psychological & emotional health and advocate prevention programmes and services to Sanrakshika families. CISF members and their families can voluntarily avail of the services by ABET.

13. E-Service Book:

E-Service book has been conceptualized as an innovative online portal designed to process pension papers for issuing Pension Payment order and payment of other pensionary benefits to the retiring/retired personnel of CISF in a timely manner and to prevent movement of physical Service Book from CISF field units to PAO/RPAOs saving considerable time. It has provision for raising observation if any, in the service records in real time and the rectification may be done by the concerned authorities at all levels. Use of e-Service Book will significantly reduce the time presently consumed for sending the service book to PAO/RPAO and vice versa. E-Service book can also be used for verification of qualifying service, reckoning of Foreign Service, Pre-check operations and on other occasion, which is presently being done through sending physical Service Book to PAO/RPAO from even remotest CISF Units. The e-Service book features a dedicated chat box that allows PAO/RPAOs to raise any issue or observation,

(ख) सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले/सेवा से पृथक किए गए/कार्यभार से मुक्त/सेवा से हटाए गए कार्मिकों द्वारा की गई बचत की चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापसी।

टिप्पणी :-

1. संशोधित दर दिनांक 01.02.2022 से प्रभावी होगी ।

2. उपरोक्त मामलों में, खण्ड स्तरीय किमटी द्वारा माता–िपता की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के पश्चात ही माता–िपता को भुगतान की जाएगी। यदि माता–िपता की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो कुल राशि मृतक के उत्तराधिकारी को प्रदान की जाएगी।

(पत्र सं. ई.—41014/एजीबीएस/एनजीएफ/कल्याण/ 2017/1299 दिनांक 08.12.2017, आदेश संख्या 510 दिनांक 16.02.2022 और आर एस निधि नियमावली पैरा—6)

11. संरक्षिका

सी.आई.एस.एफ. पत्नी कल्याण संगठन ''संरक्षिका'' सीआईएसएफ कार्मिकों के बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाता है, कार्मिकों की पत्नियों में गर्व की भावना का संचार करता है और सीआईएसएफ कार्मिकों को बगैर तनाव के अपने कर्त्ताव्य पालन में मदद करता है क्योंकि 'संरक्षिका' द्वारा उपलब्ध करवाई गई सहायता प्रणाली द्वारा उनके परिवारों को मदद दी जाती है।

12. प्रोजेक्ट मनः

सीआईएसएफ वाईब्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मानसिक कल्याण और भावनात्मक स्वास्थ्य सहायता सुनिश्चित करने के लिए केऔसुब किर्मियों और उनके परिवारों को परामर्श और सहायता प्रदान करने लिए दिनांक 08.11.2024 को आदित्य बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट (एबेट) के साथ एक समझौता ज्ञापर पर हस्ताक्षर किए हैं । हेल्पलाईन नंबर (07968170455) एम.पॉवर/कर्मचारी कॉनर पर उपलब्ध है ।

आदित्य बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट (एबेट) "प्रोजेक्ट मन" के माध्यम से संरक्षिका सदस्यों और उनके परिवारों को मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से संबंधित आमतौर पर सामना की जाने वाली चुनौतियों को संबंधित करने और कर करने और संरक्षिका परिवारों को इसके संबंध में रोकथाम कार्यक्रमों और सेवाओं की वकालत करने के लिए मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करेगा । बल सदस्य और उनके परिवार स्वेच्छा से अबेट द्वारा प्रदत्त सेवाओं का लाभ उठा सकते है।

13. ई—सर्विस बुकः

ई—सर्विस बुक को संकल्पना एक अभिनव ऑनलाईन पोर्टल के रूप में की गई है, जो पेंशन भुगतान आदेश जारी करने और सेवानिवृत कर्मियों/सेवानिवृत होने वाले बल सदस्यों को अन्य पेंशन लाभाँश के भुगतान के लिए पेंशन पत्रों को समयबद्ध तरीके से संपादित करने और फील्ड इकाईयों से पीएओ/आरपीएओं तक सेवा पुस्तिका की आवाजाही को रोकने और समय बचाने के लिए डिजाईन किया गया है । इसमें सेवा रिकार्ड में पायी गयी कर्मियों को दर्शाने और वास्तविक समय में ही सभी स्तरों द्वारा इन कियों को देखने और उठाये गये त्रुटियों के जल्द निपटान करने में सहायक है । ई—सर्विस बुक के उपयोग से वर्तमान में पीएओ/आरपीएओ को सर्विस बुक भेजने और वापस इकाई में लगने वाले समय में काफी कमी आयेगी ।

इसका उपयोग अर्हक सेवा के सत्यापन, विदेश सेवा की गणना, पूर्व—जॉच संचालन और अन्य अवसरों पर भी किया जा सकता है, जो वर्तमान में दूरस्थ इकाईयों से पीएओ/आरपीएओ को भौतिक सेवा पुस्तिका भेजन के माध्यम से किया जा रहा है । इसमें एक समर्पित चैट बॉक्स है तो

which can be viewed and addressed in real time by the concerned units and HOOs.	पीएओ / आरपीएओ को किसी भी मुद्दे या त्रुटियों को उठाने की अनुमति देता है जिसे सबंधित इकाईयों द्वारा वास्तविक समय में देखा और त्रटियों का समाधान किया जा सकता है ।
E-service book can be accessed by personnel on his/her employee corner	ई-सर्विस बुक को बल सदस्य अपने कर्मचारी कॉर्नर से एक्सेस कर सकते है।

14. <u>BENEFITS UNDER CENTRAL ARMED POLICE SALARY PACKAGE (CAPSP) ACCOUNT (SBI)</u>

A. <u>Personal Accidental Insurance (Death) cover for Salary Package Accounts (SBI)</u>

Salary package (PMSP)	Gold	Diamond	Platinum
Personal accident insurance		Rs. 50 lakhs	
Additional PAI	Addl. Rs. 10 lakhs (on duty death during action against terrorists/Naxalites/ foreign enemy)		
PAI for Pensioners	Rs. 30 Lakhs	Rs. 30 Lakhs	Rs. 30 Lakhs

B. Air Accidental Insurance (Death) cover for Salary Package Accounts (SBI)

Air Accidental	Rs. 1 Crore	Rs. 1	Rs. 1 Crore
Insurance*		Crore	

(*If Air ticket is purchased by debit to CAPSP Account)

i.	Permanent/Total Disability Cover	Maximum Rs. 50 Lakhs
ii.	Permanent Partial Disability Cover	Maximum Rs. 50 Lakhs
Addi	tional Covers applicable in case of	Accidental Death only
i	Cost of Plastic Surgery/Burn	Maximum Rs. 10 lakhs including Pensioners
ii	Transportation of Imported Medicine	Maximum Rs. 5 lakhs including Pensioners
iii	Death after Coma after accident (more than 48 hrs)	Maximum Rs. 5 lakhs including pensioners
iv.	Air Ambulance	Maximum Rs. 10 lakhs including pensioner
v.	Higher Education cover (Graduation) for one child (18 to 25 years as on date of accident)	Max. Rs. 8 lakhs (for Girls child Max. 10 lakhs) Max. 5 lakhs for pensioners
vi.	Daughter's Marriage cover (18- 25 age as on date of accident)	Max. Rs. 10 lakhs (02 child) including pensioners (Rs. 5 lakhs)
vii.	Family Transportation (Cost of travel incurred by immediate 2 family members to reach place of accident)	Max. Rs. 50,000/- Including pensioners
viii.	Repatriation of mortal remains	Max. Rs. 50,000/- including pensioners
ix.	Ambulance charges	Rs. 50,000/- including pensioners

Valid wef. 04.01.2022

<u>Insurance Co.</u>: The Oriental Insurance Co. Ltd. for the period from 04.04.2024 to 03.04.2025 (Toll free number 18001238733/1800118485)

(DGM(SPA), SBI, PBBU, Corporate Centre, Mumbai mail dated 17.09.2024 & SBI Website)

14. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल सैलरी पैकेज (सीएपीएसपी) अकाउंट (एसबीआई) के तहत लाभ

क. सैलरी पैकेज अकाउंट (एसबीआई) के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना

बीमा (मृत्यु)				
सैलरीपैकेज	गोल्ड	डायमंड	प्लेटिनम	
(पीएमएसपी)				
व्यक्तिगत	रू. 50लाख	रू. 50लाख	रू. 50लाख	
दुर्घटनाबीमा				
अतिरिक्त	अतिरिक्त अतिरिक्त रू० 10 लाख (आतंकवा			
व्यक्तिगत	नक्सलियों, विदेशी दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई			
दुर्घटना बीमा	दौरान डयुटी पर मौत)			
व्यक्तिगत	रू. 30 लाख	रू. 30 लाख	रू. 30 लाख	
दुर्घटना बीमा				
(पेशनर)				

ख. सैलरी पैकेज अकाउंट (एसबीआई) के लिए वायु दुर्घटना बीमा (मत्य) कवर

15,31 1,17			
वायु दुर्घटना बीमा	रू. 1 करोड़	रू. 1 करोड़	रू. 1 करोड़

	વામા				
	(यदि हव	गई टिकट सीएपीएसपी खाते में डेबिट			
	i	स्थायी / पूर्ण डिसेबिलिटी कवर	अधिकतम रूपये 50		
			लाख		
1	ii	स्थायी आंशिक डिसेबिलिटी कवर	अधिकतम रूपये 50		
			लाख		
1	दुर्घटना में मृत्यु होने पर निम्नलिखित अतिरिक्त लाभ				
	i	प्लास्टिक सर्जरी / बर्न की लागत	अधिकतम 10 लाख		
			रूपए (पेशनरों के लिये		
1			भी)		
	ii	आयातित दवाओं का परिवहन	अधिकतम 5 लाख		
1			रूपए (पेशनरों के लिये		
			भी)		
	iii	दुर्घटना के कारण कोमा के बाद	रूपए 5 लाख		
		मृत्यु (४८ घंटे से अधिक)	(पेशनरों के लिये भी)		
╛	iv	एयर एम्बुलेंस	अधिकतम रूपए 10		
			लाख		
4			(पेशनरों के लिये भी)		
	v	उच्चशिक्षा कवर (स्नातक) एक	अधिकतम ८ लाख		
		बच्चे के लिये	अधिकतम गर्लचाईल्ड		
			के लिये 10 लाख		
			(पेशनरों के लिये 5		
-			लाख)		
	vi	पुत्री के विवाह हेतु (18–25 वर्ष	अधिकतम् १० लाख (
		दुर्घटना की तारीख को हो)	02 पुत्रियों के लिये)		
1			(पेशनरों के लिये 5		
			लाख)		
	vii	परिवार परिवहन (परिवार के दो	अधिकतम रू.		
		सदस्यों को घटनास्थल में पहुंचने	50,000/-		
		हेतु)	(पेशनरों के लिये भी)		
	viii	अवशेष को स्वदेश लाना	रू. 50,000 ∕ −		
			(पेशनरों के लिये भी)		
	ix	एम्बुलैंस प्रभार	रू. 50,000 ∕ −		
1			(पेशनरों के लिये भी)		

दिनाक 04.01.2022 से वैध।

बीमा कंपनीः वर्तमान बीमा कंपनी 'द ओरिऐंटल इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड' जो दिनांक 04.04.2024 से 03.04.2025 तक वैद्य है ।

(एसबीआई मेलपत्र दिनांक 17.09.2024 एवं एसबीआई वेबसाईट में उपलब्ध दस्तावेजे)

<u>FUND TO THE RETIRED/NOK OF</u> DECEASED CISF PERSONNEL

सेवानिवृत्त / मृत सीआईएसएफ कार्मिक के नजदीकी संबंधी को सरकारी निधि से लाभ

RETIREMENT

As per CCS Pension Rules-2021, pension is admissible to an employee with minimum qualifying service not less than 20 years of service

1. PENSION (OPS)

The amount of pension will be 50% of the average emoluments or 50% of emoluments drawn on the date of retirement, whichever is more beneficial.

Formula of Pension:

50% of Last Basic Pay Drawn in Pay Matrix Level.

Example-I

Date of retirement :: 31.03.2024
Qualifying Service :: 33 Years
Last Basic Pay in Pay Matrix-7 :: Rs. 76,500
Pension :: Rs. 76,500

2 = Rs. 38,250

2. Amount can be offered for :: 40% of last basic pension Commutation i.e. 38,250 x 40%= Rs. 15,300

Note:-

- (i) In no case, Basic Pension granted shall be less than Rs. 9,000/- per month/.
- (ii) Pension (OPS) on Voluntary Retirement is applicable only on completion of 20 years of qualifying service.

2. **RETIREMENT GRATUITY**:

Retirement gratuity is admissible to all employees who retire after completion of 5 years of qualifying service at the rate of ¼ of emoluments for each completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of 16 ½ time 'the emoluments' or Rs. 25,00,000 (Twenty Five Lakhs) wef. 01.01.2024 emoluments include DA On the date of cessation of service.

FORMULA FOR GRATUITY:

(Last Basic Pay + DA) x Six Monthly Period)

4

Note: Each complete year or above 09 months period is equal to two Six Monthly Period.

सेवानिवृति

सीसीएस पेंशन नियमावली—2021 के नियमों के तहत, न्यूनतम 20 वर्षों की सेवा वाले एक कर्मचारी को पेंशन देय होती है।

1. पेंशन (ओपीएस)

पेंशन की राशि औसत परिलब्धियों का 50% अथवा सेवानिवृति की तिथि को आहरित की गई परिलब्धियों, जो भी अधिक लाभकारी हो, की होगी।

पेंशन का फार्मूलाः

पे मेट्रिक्स स्तर में आहरित किए गए अंतिम वेतन का 50%।

उदाहरण-।

सेवानिवृति की तिथि : :31.03.2024 अर्हकसेवा : :33 वर्ष पे–मेट्रिक्स–7 में अंतिम मूलवेतन : :रूपए 76,500 पेंशन ::रूपए 76,500/2 = रूपए 38,250

2.कम्यूटेशन के लिए राशि का प्रस्ताव : :अंतिम मूल वेतन का 40% किया जा सकता है। अर्थात् 38,250 **X** 40% = रूपए 15,300

नोट:-

- (i) किसी भी मामले में, प्रदान किया गया मूलवेतन रूपए 9,000 / — प्रतिमाह से कम नहीं होना चाहिए।
- (ii) स्वैच्छिक सेवानिवृति पर पेंशन केवल अर्हक सेवा के 20 वर्ष पूरा होने के पश्चात लागू होगी।

सेवानिवृत्ति गेच्युटीः

सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी उन सभी कार्मिकों पर लागू होगी जो अर्हकसेवा के पांच वर्षों से अधिक सेवापूर्ण होने के पश्चात सेवानिवृत हो जाते हैं। सेवा समाप्ति की तिथि को डीए अर्हत 01.01.2024 से प्रभावी परिलब्धियों का अधिकतम 16 1/2 गुणा (साढ़े सोलह गुणा) अथवा 25,00,000 (बीस लाख) रूपए के अधीन अर्हकसेवा के प्रत्येक पूर्ण छः माह के लिए परिलब्धियों की 1/4 की दर से । ग्रेच्यूटी का सूत्रः

(अंतिम मूलवेतन+डीए) X छःमाही की अवधि)

4

टिप्पणी : प्रत्येक पूर्ण वर्ष अथवा 9 माह से अधिक की अवधि दो छःमाही की अवधि के बराबर है।

Example-1:

Retirement Gratuity

Last Basic Pay in Pay Matrix-7 :: Rs. 76,500 Dearness Allowance @ 50% :: Rs. 38,250

Emoluments :: Rs. 76,500 + Rs. 38,250 = Rs. 1,14,750 Retirement Gratuity for 33 years :: Rs. 1,14,750 x ¼ x 66

=Rs.18,93,375

Retirement Gratuity for 20 years:: Rs. 1,14,750 x $\frac{1}{4}$ x 40 =Rs.11,47,500

Example-2:

Death Gratuity:

Death gratuity is admissible in the case of death in service at following rates:-

S. N.	Length of service	Death Gratuity payable to family
(a)	Less than one year	2 time of emoluments
(b)	One year or more but less than 5 years	6 times of emoluments
(c)	5 years or more, but less than 20 years	12 times of emoluments
(d)	20 years or more	Half of emolument for every completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of 33 years emoluments or Rupees Twenty Lakhs.

CALCULATION:

Last basic pay in Pay Matrix-7 :: Rs. 76,500 Dearness Allowance @ 50% :: Rs. 38,250

Emoluments :: Rs. 76,500 + Rs. 38,250 = Rs. 1,14,750

Death Gratuity for 33 years

:: Rs. 1,14,750 x ½ x 66 =Rs.37,86,750 (Restricted to upto maximum upto 25 lakhs)

Death Gratuity for 20 years

:: Rs. 1,14,750 x ½ x 40 =Rs.22,95,000

3. **LEAVE ENCASHMENT**

From 01.01.2016, the authority competent to sanction leave should automatically grant lump sum cash equivalent of leave salary admissible for the number of days of Earned

Leave and Half Pay Leave at the credit of the employee on the last pay of his service, subject to overall limit of 300 days.

उदाहरण–1ः

सेवानिवृति ग्रेच्यूटी

पे—मेट्रिक्स—7 में अंतिम मूल वेतन :: रूपए 76,500 महंगाई भत्ता 50% की दर से :: रूपए 38,250

परिलब्धियां : :

रूपए 76,500 +रूपए 38,250 :: रूपए 1,14,750

33 वर्षों के लिए सेवानिवृति ग्रेच्यूटी

:: रूपए 1,14,750 X 1/4 X66 = रूपए 18,93,375

20 वर्षों के लिए सेवानिवृति ग्रेच्यूटी

रूपए 1,14,750 X 1/4 X 40= रूपए 11,47,500

उदाहरण–2:

मृत्यु ग्रेच्यूटीः

र्रुवामें मृत्यु के मामले में मृत्यु ग्रेच्यूटी निम्नलिखित दरों पर देय होगी:--

क.सं.	सेवा की अवधि	परिवारको देय मृत्यु गेच्यूटी
(ক)	एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का दो गुणा
(ख)	एक वर्ष अथवा	परिलब्धियों का छः गुणा
	अधिक किन्तु 5 वर्ष	
	से कम	
(ग)	पंच वर्ष अथवा अधिक	परिलब्धियों का बारह गुणा
	किन्तु 20 वर्ष से कम	_
(ঘ)	20 वर्ष से अधिक	अधिकतम 33 वर्षों की
		परिलब्धियां अथवा 20 लाख
		रूपए की भार्त के अधीन अर्हक
		सेवा के प्रत्येक छः माह के
		लिए परिलब्धियों का आधा।

गणना :

पे—मेट्रिक्स—7 में अंतिम मूलवेतन :: रूपए 76,500 महंगाई भत्ता 50% की दर से :: रूपए 38,250

परिलब्धियां

: :रूपए 76,500 + रूपए 38,250= रूपए 1,14,750

33 वर्षों के लिए मृत्यू ग्रेच्यूटी

 \div रूपए 1,14,750 X 1/2 X 66 = रूपए 37,86,750

(अधिकतम 25 लाख तक सीमित)

20 वर्षों के लिए मृत्यु ग्रेच्यूटी

:: रूपए 1]14]750 X 1/2 X 40 = रूपए 22,95,000

3. छुट्टी नकदीकरण

01.01.2016 से, छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को कर्मचारी के खाते में उसकी सेवा के अंतिम वेतन में 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन अर्जित अवकाश और अर्द्ध वेतन अवकाश के दिनों की संख्या के लिए देय छुट्टी वेतन के समतुल्य एकमुश्त नकद राशि को स्वतः स्वीकृत करना चाहिए।

Method of Calculation:

(I) For Earned leave:

(last Basic Pay Drawn + DA) x Nos. of Earned leave (Maximum 300 days)

30 days

(II) For Half Pay Leave:

(Half of last Basic Pay Drawn + DA) x Nos. of HPL (Maximum 300 days)
30 days

गणना की अवधिः

(।) अर्जित अवकाश के लिए

(आहरित अंतिम मूलवेतन+महंगाईभत्ता) Xअर्जित अवकाश की संख्या (अधिकतम 300 दिन) 30 दिन

(।।) अर्द्ध वैतनिक अवकाश के लिए

(आहरित अंतिम मूलवेतन का आधा+महंगाई मत्ता) Xअर्द्धवेतन अवकाश की संख्या (अधिकतम 300 दिन) 30 दिन

The overall limit for encashment of leave including both earned leave and half pay leave shall not exceed 300 days. To make up for the shortfall in earned leave, no commutation of half pay leave shall be admissible.

CALCULATION:

Last Basic Pay in pay Matrix :: Rs.

76,500

Dearness Allowance @ 50% :: Rs. 38,250

Nos. of EL at credit in EL account :: 200 days

Nos. of HPL at credit in HPL account:: 550 days

(i) Calculation of Earned leave encashment

(Rs. 76,500 + Rs. 38,250) x 200(Nos. of EL)= Rs. 7,65,000 30 Days

(ii) Calculation of Half pay leave encashment

(Rs. 76,500 / 2 + Rs. 38,250) x 100 :: Rs. 2,55,000 30 days

(iii) Total Leave Encashment (i + ii):: Rs. 10,20,000

अर्जित अवकाश और अर्द्धवेतन अवकाश दोनों छुट्टी के सहित नकदीकरण की समग्र सीमा 300 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्जित अवकाश में कमी को पूरा करने के लिए, अर्द्धवेतन में कोई कटौती लागू नहीं होगी।

गणना

पे–मेट्रिक्स में अंतिम मूलवेतनः : रूपए 76,500 महंगाई भत्ता 50% की दर सेः: रूपए 38,250

अर्जित अवकाश खाते में जमा अर्जित अवकाश की संख्या ::200 दिन अर्द्धवेतन अवकाश खाते में जमा अर्द्धवेतन अवकाश की संख्याः : 550 दिन

(i)अर्जित अवकाश नकदीकरण की गणना

<u>(रूपए 76,500 + रूपए 38250)</u> X <u>200</u> (अर्जित अवकाश की संख्या) : : रूपए **7,65,000** 30 दिन

(ii)अर्द्धवैतनिक अवकाश नकदीकरण की गणना

(रूपए 76,500 / 2 + रूपए 38,250) X 100 :: रूपए 2,55,000 30 दिन

(iii) कुल छुट्टी नकदीकरण (i + ii) ः रूपए 10,20,000

4. COMMUTATION OF PENSION:

Maximum 40% of Basic Pension can be commuted to get a portion of pension in advance.

FORMULA FOR CALCULATION:

40% of Basic Pension x 12 x Commutation Factor.

Example

Date of Retirement :: 31.03.2024

Date of Birth :: 25.05.1961

Age next birth :: 58 years

Commutation value :: 8.446

40% of Basic Pension:: Rs. 38,250 x 40% = Rs. 15,300 Commutation Value:: Rs. 15,300 x 12 x 8.446 = Rs.15,50,686 Note:-

 Commutation factor will be restored after 15 years of retirement

4.पेंशन की कटौती/प्रतिबद्धता

पेंशन के एक हिस्से को अग्रिम रूप से प्राप्त करने के लिए मूलवेतन का अधिकतम 40% कटवाया जा सकता है।

गणना करने के लिए सूत्रः

मुलवेतन का 40% X 12 Xकटौतीकारक

उदाहरण

सेवानिवृत्ति की तिथि : : : 31.03.2024 जन्मतिथि : : 25.05.1961 अगले जन्मदिन पर आयु : : 58 वर्ष कटौती मूल्य : : 8.446

मूलपेंशन का 40% ::रूपए 38,250**X**40% = रूपए 15,300

कटौती मूल्य

:: रूपए 15,300 **X** 12 **X** 8.446 = रूपए 15,50,686 टिप्पणी:-

(i) कटौती कारक को सेवानिवृत्ति के 15 वर्षों के पश्चात बहाल किया जाएगा।

(ii) मूलवेतन का अधिकतम 40% कटौती के लिए प्रस्तावित

Maximum 40% of Basic Pension can be offered for commutation.

किया जा सकता है।

GENERAL PROVIDENT FUND

Rate of interest for the financial year 2024-25 ::7.10% for FY 2024-25

Closing balance as on 31.03.2024 :: Rs. 6,00,000

Month	Subscrip	Refund	Advance/	Balance	
	tion	Rs.	Withdraw	Rs.	
	Rs.		al		
			Rs.		
Mar,24	25,000	0	0	6,25,000	
Apr,24	25,000	0	0	6,50,000	
May'24	25,000	0	0	6,75,000	
June'24	25,000	0	0	7,00,000	
July,24	25,000	0	0	7,25,000	
Aug,24	25,000	0	0	7,50,000	
Sep,24	25,000	0	0	7,75,000	
Oct,24	25,000	0	0	8,00,000	
Nov,24	25,000	0	0	8,25,000	
Dec,24	25,000	0	0	8,50,000	
Jan,25	25,000	0	0	8,75,000	
Feb,25	25,000	0	0	9,00,000	
Total	3,00,000				
	Progressive Total Rs.				

5. सामान्य भविष्य निधि

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज की दर ::

7.1 %

31.03.2024 की समाप्ति के समय बकाया : : रूपए 6,00,000

000.202	** *** ** *		,	0,00,000
महीना	जमा	प्रतिदाय	अग्रिम /	बकाया
		/ रिफंड	आहरण	
मार्च,24	25,000	0	0	6,25,000
अप्रैल,24	25,000	0	0	6,50,000
मई, 24	25,000	0	0	6,75,000
জুন,24	25,000	0	0	7,00,000
जुलाई,24	25,000	0	0	7,25,000
अगस्त,24	25,000	0	0	7,50,000
सितम्बर,24	25,000	0	0	7,75,000
अक्तूबर,24	25,000	0	0	8,00,000
नवंबर,24	25,000	0	0	8,25,000
दिसम्बर,24	25,000	0	0	8,50,000
जनवरी,25	25,000	0	0	8,75,000
फरबरी,25	25,000	0	0	9,00,000
कुल	3,00,000			
	क्रमिक योग	रूपए में		91,50,00
				0

Formula for calculation of GPF interest:

Interest bearing balance (Progressive total) x rate of interest on GPF 12 x 100

Interest Calculation:-

91,50,000(Progressive total) x 7.10

12 x 100

Closing balance as on 31.03.2025 (Opening balance +Subscription deposit+interest)

=Rs. 54,137.50

=Rs.9,54,138

जीपीएफ व्याज की गणना के लिए सूत्रः

बकाया ब्याज (क्रमिक योग) Хजीपीएफ पर ब्याज की दर 12 **X**100

ब्याज गणना

91,50,000 (कमिक योग) X 7.10

= रूपए 54,137.50

12 **X** 100

(v) 31.03.2025 की समाप्ति पर समग्र योग

=रूपए 9,54,138.00 (पिछले वितीय वर्ष का बकाया+जमा अंशदान+ब्याज)

6. **TA ON RETIREMENT**

TA on retirement includes 4 components:

- (i) Travel entitlement for self and family
- (ii) Composite Transfer grant (CTG)
- (iii) Reimbursement of charges on transport of personal effects
- (iv) Reimbursement of charges on transportation of conveyance

(i) **Travel Entitlement**

Travel entitlement as prescribed for tour/transfer, except

सेवानिवृत्ति के समय परिवहन भत्ता

सेवानिवृति के समय परिवहन भत्ता में निम्नलिखित चार घटक शामिल है :

- स्वयं और परिवार के लिए यात्रा हकदारी। (i)
- (ii) कम्पोजिट ट्रांसफरग्रांट (सीटीजी)।
- (iii) व्यक्तिगत सामान के परिवहन पर प्रभारों की क्षतिपूर्ति।
- यात्रा के आवागमन पर प्रभारों की प्रतिपृति। (iv)

यात्रा हकदारी (i)

अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के अलावा, टूर/स्थानांतरण के लिए निर्धारित हकदारी सेवानिवृत्ति पर की गई यात्राओं के मामले में भी लाग् होगी। एस आर 147 में निर्धारित स्वीकार्यता की सामान्य शर्तें,

for international Travel, will be applicable in case of journeys on retirement. The general conditions of admissibility prescribed in SR 147 will however, continue to be applicable.

तथापि लागू रहेंगी।

(ii) Composite Transfer Grant (CTG)

- (a) The Composite Transfer Grant shall be paid at the rate of 80% of the last month's basic pay in case of those employees, who on retirement, settle down at places other than last station(s), of their duty located at a distance of more than 20 Km. However in case of settlement to and from the Island territories of Andaman, Nicobar & Lakshadweep, CTG shall be paid at the rate of 100% of last month's basic pay. Further, NPA and MSP shall not be included as part of basic pay while determining entitlement for CTG. The transfer incidents and road mileage for journeys between the residence and the railway station/bus stand etc., at the old and new station are already subsumed in the composite transfer grant and will not be separately admissible.
- (b) Government servants who on retirement settle at the last station of duty itself may be paid one third of the CTG (@ 80% of the last months basic pay) subject to the condition that a charge of residence is actually involved.

(ii) कम्पोजिट ट्रांसफर अनुदान (सीटीजी)

- (क) कम्पोजिट ट्रांसफर अनुदान का भुगतान उन कर्मचारियों के मामले में अंतिम माह के मूलवेतन के 80 प्रतिशत की दर से किया जाएगा जो सेवानिवृत्ति पर अपने कर्त्तव्य पालन पर अंतिम स्टेशन (स्टेशनों) के बजाय अन्य स्थानों पर चले जाते हैं जो 20 किमी से अधिक की दूरी पर अवस्थित होता है। तथापि, अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीप क्षेत्रों से इधर—उधर जाने के मामले में, सीटीजी का भुगतान मूलवेतन के 100 प्रतिशत की दर पर किया जाएगा। इसके अलावा, सीटीजी हकदारी का निर्धारण करते समय मूलवेतन में एनपीए और एमएसपी को शामिल नहीं किया जाएगा। पुराने और नए स्टेशन पर स्थानांतरण और रोड़ माइलेज के लिए निवास स्थान और रेलवे स्टेशन / बस स्टेंड आदि के बीच के लिए उन्हें पहले ही कम्पोजिट स्थानांतरण अनुदान के लिए सिम्मिलित कर लिया गया है और यह अलग से देय नहीं होगा।
- (ख) जैसा कि सेवारत कार्मिकों के मामले में है, सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति पर ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर हो, उन्हें सीटीजी (अंतिम बेसिक वेतन का 80%) का एक तिहाई भुगतान किया जाएगा। इस शर्त के अधीन कि निवास का प्रभार वास्तविक रूप को शामिल किया गया है।

(iii)Transportation	n of	Personal	Effects

Level	By Train/Steamer	By Road
12 and	6000 Kg by goods	Rs. 63/- per
above	train/4wheeler wagon/	km
	1double container	
6 to 11	6000 Kg by goods	Rs. 63/- per
	train/4wheeler wagon/ 1	km
	single container	
5	3000 Kg	Rs. 31/- per
		kmkm
4 and	1500 Kg	Rs. 19/- per
below		km

The rates for transporting the entitled weight by Steamer will be equal to the prevailing rates prescribed by such transport in ships operated by shipping Corporation of India. The claim for reimbursement shall be admissible subject to the production of actual receipts/vouchers by the retired Govt. servant Production of receipt/vouchers is mandatory in r/o transfer cases of North Eastern Region, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep also. Transportation of personal effects by road is as per

(iii) व्यक्तिगत सामान का परिवहन

ν	, <u></u>		
		ट्रेन / स्टीमर के द्वारा	सड़क द्वारा
	स्तर		
	12 एवं	मल वाहक ट्रेन/फोरब्हिलर	
	ऊपर	बैगन/एक डबल कॉन्टेनर	किमी
		द्वारा ६००० कि.ग्रा.	
	6 से 11	मल वाहक ट्रेन/फोरब्हिलर	रूपए 63/-प्रति
		बैगन/एक सिंगल कॉन्टेनर	किमी
		द्वारा ६००० कि.ग्रा.	
	5	3000 कि.ग्रा.	रूपए 31/-प्रति
			किमी
	4	1500 कि.ग्रा.	रूपए 19/-प्रति
	एवंनीचे		किमी

स्टीमर द्वारा स्वीकृत भार के परिवहन के लिए दरें भारतीय नौवाहन निगम द्वारा परिचालित जहाजों में ऐसे परिवहन द्वारा निर्धारित मौजूदा दरों के समतुल्य होंगी। प्रतिपूर्ति के लिए दावा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा वास्तविक रसीदों / बाउचर्स प्रस्तुत करने पर देय होगा जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सामूह और लक्षद्वीप सामूह और लक्षद्वीप सामान का यातायात कंवल प्रति किमी के आधार पर है। व्यक्तिगत सामान का परिवहन प्रयोजन के लिए शहरों / करबों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है।

kilometer basis only. The classification of cities/town for the purpose of transportation of personal effects is done away with.

(a) <u>Transportation of Conveyance</u>

Level	Reimbursement
6 and above	1 motor car etc. or 1 motor cycle/scooter
5 and below	1 motorcycle/scooter/moped/bicycle

The general conditions of admissibility of TA on Transfer as prescribed in SR 116 will, however, continue to be applicable.

7.CGHS FACILITIES

Introduction:- Central Government Health Scheme (CGHS) was introduced during 1954 with a view to provide comprehensive medical facilities to the Central Govt employees and their family members. The Scheme, which was initially introduced in Delhi, was gradually extended to other areas and at present cover 71 cities.

Contributions/ Documents:— As per CGHS Rules all Central Govt pensioners are entitled to avail CGHS facilities for whole life by becoming member of CGHS after making one time lump sum payment of 10 years at the time of retirement at their native place or at nearest CGHS Dispensary. The present rates of monthly contribution and 10 years contribution are as under:-

(क)	वाहन का प	गरित	दन					
(1/)	416 1 471	11 (<u> </u>					
	स्तर	प्रि	तेपूर्ति					
	6 और ऊपर	1	मोटर	कार	आदि	अथवा	1	मोटर

साइकिल / स्कूटर 5 और नीचे 1 मोटर साइकिल / स्कूटर / मोपेड / सायकिल

एसआर 116 में निर्धारित स्थानांतरण पर टीए की स्वीकार्यता की सामान्य शर्तें हालांकि लागू रहेगी ।

सीजीएचएस सुविधाएं

परिचय:-केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) केन्द्र सरकार एवं उनके परिवारों के समग्र चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य के साथ 1954 में शुरू की गई थी। इस योजना को प्रारंभ में दिल्ली से शुरू करके धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों में बढ़ाया गया और आज यह योजना 71 शहरों में चल रही है।

योगदान / दस्तावेज: सीजीएचएस नियमावली के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के सभी पेंशनर्स अपने मूलस्थान अथवा नजदीकी सीजीएचएस डिस्पेंशनरी में सेवानिवृति के समय 10 वर्षों के लिए एकमुश्त भुगतान करने के पश्चात आजीवन सदस्य बनते हुए सीजीएचएस सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार हैं। मासिक अंशदान और 10 वर्ष अंशदान की वर्तमान दर निम्न प्रकार है:-

(a) <u>P</u>	ersonnel serving in Delhi/NCR:-
1	CGHS FORM.
2	SERVICE CERTIFICATE.
3	PHOTOCOPY OF IDENTITY CARD.
4	RESIDENTIAL PROOF (ELECTRICITY BILL). If in rented
	house, copy of valid rent agreement with house owner.
5	LATEST SALARY SLIP.
6	DATE OF BIRTH PROOF OF FAMILY MEMBERS.
	(COPY OF AADHAR CARD)
7	DEPENDENT CERTIFICATE (IN CASE OF PARENT).

(क)	दिल्ली / एनसीआर मेंसेवारत कार्मिक:
1	सीजीएचएस प्रपत्र
2	सेवा प्रमाण–पत्र
3	पहचान पत्र की फोटोप्रति
4	आवासीय पता का प्रमाण (बिजली का बिल) यदि किराए
	के घर में हैं, घर का वैद्य किराया बंध पत्र की प्रति
5	नवीनतम वेतन पर्ची
6	परिवार के सदस्यों की जन्मतिथि प्रमाण
7	आश्रित प्रमाणपत्र (माता पिता के मामले में)

REVISED MONTHLY SUBSCRIPTION OF CGHS FACILITY				
W.E.F. 01.01.2017				
Pay Matrix Level 1 to 5		Rs.250/-		
Pay Matrix Level 6		Rs.450/-		
Pay Matrix Level 7 to11		Rs.650/-		
Pay Matrix Level 12 and above		Rs.1,000/-		
WARD ENTITLEMENT AND CGHS CONTRIBUTION				
General Ward	d Upto Rs.36,500/-			
Semi Private Ward	Rs.36,501/	- to Rs.50,500		
Private Ward above Rs.50,50		0,500		

01.01.2017 से मासिक अंशदान	सीजीएचसी	सुविधा के लिए संशोधित		
पे मेट्रिक्स स्तर 1 र	ने 5	रू. 250 ∕ −		
पे मेट्रिक्स स्तर 6		₹50 / -		
पे मेट्रिक्स स्तर ७ से ११		₹5. 650 / -		
पे मेट्रिक्स स्तर 12 और ऊपर				
वार्ड हकदारी और सीजीएचएस योगदान				
सामान्य वार्ड	रू.36,500 / −तक			
सेमी प्राईवेट वार्ड	रू. 36,501 से रू. 50,500 ∕ −तक			
प्राईवेट वार्ड	रू. 50,500 / –से ऊपर			

(b)<u>Personnel serving in NE/J&K/ANO and their family</u> <u>members residing in Delhi/NCR</u>

DOCUMENTS REQUIRED FOR TEMP CGHS CARD TEMP CGHS FORM. 2 SERVICE CERTIFICATE. 3 PHOTOCOPY OF IDENTITY CARD. RESIDENTIAL -PROOF (ELECTRICITY BILL). If in rented house, copy of valid rent agreement with house owner is must. 5 LATEST PAY SLIP. DATE OF BIRTH PROOF OF FAMILY MEMBERS. (Copy Of AADHAR Cards) PASS PORT SIZE PHOTOGRAPH. DEPENDANT CERTIFICATE (IN CASE OF PARENT). BD FOR AT PAR WITH THE SUBSCRIPTION FOR ONE YEAR IN FAVOR OF PAY AND ACCOUNT OFFICER, **CGHS PAYABLE AT DELHI.**

(ख) दिल्ली / एनसीआर में रह रहे उत्तरपूर्व / जम्मू एवं कश्मीर / एएनओ में सेवारत कार्मिकों के परिवार:-

अस्था	यी सीजीएचएस कार्ड के लिए अपेक्षित दस्तावेज
1	अस्थायी सीजीएचएस प्रपत्र
2	सेवा प्रमाण–पत्र
3	पहचान पत्र की फोटोप्रति
4	आवासीय पता का प्रमाण (बिजली का बिल) यदि किराए
	के घर में हैं, घर के मालिक के साथ वैद्य किराया बंध
	पत्र आवश्यक है।
5	नवीनतम वेतन पर्ची
6	परिवार के सदस्यों की जन्मतिथि प्रमाण (आधार कार्ड की
	प्रति)
7	पासपोर्ट साईज का फोटो
8	आश्रित प्रमाण पत्र (माता पिता के मामले में)
9	वेतन एवं लेखा अधिकारी सीजीएचएस को दिल्ली में देय
	एक वर्ष के लिए उनके पक्ष में अंशदान के बराबर बैंक
	ड्रॉफ्ट।

RATE OF SUBSCRIPTION	
Const to ASI or	Rs. 3,000/- one year
(Pay Matrix Level 1 to 5)	payment.
SI or (Pay Matrix Level 6	Rs. 5,400/- one year
only)	payment.
Inspector to DC or (Pay	Rs. 7,800/- one year
Matrix Level 7 to 11)	payment.
Commandant and above or	Rs. 12,000/- one year
(Pay Matrix Level 12 and	payment.
above)	

(c)Only for pensioner residing in Delhi/NCR:-

DC	DOCUMENTS REQUIRED FOR PREPARATION OF CGHS		
	CARD IN RESPECT OF PENSIONER RESIDING IN		
	<u>DELHI/NCR</u>		
1	Ceasing of Medical Allowance availed by the		
	pensioner with immediate effect.		
2	Necessary certificate regarding surrender of		
	CGHS Card in service, whether in possession or		
	not.		
3	Pension Payment Order and LPC.		
4	Certificate of dependent children (unmarried		
	and unemployment irrespective of age upto 25		
	years).		
5	Photocopy of residential proof. If in rented		
	house, copy of valid rent agreement with house		
	owner is must.		
6	A demand Draft of Nationalized bank as per		
	following relevant amount (Ten Year		
	Subscription) in favour of Pay and Account		
	Officer CGHS Delhi		

REVISED MONTHLY SUBSCRIPTION OF CGHS FACILITY		
W.E.F. 01.01.2017		
Pay Matrix Level 1 to 5	Rs. 250/-	
Pay Matrix Level 6	Rs. 450/-	
Pay Matrix Level 7 to 11	Rs. 650/-	
Pay Matrix Level 12 and	Rs. 1,000/-	
above		

RATE OF SUBSCRIPTION		
SI or (Pay Matrix Level 6	Rs. 54,000/- Ten years	
only)	payment.	
Inspector to DC or	Rs. 78,000/- Ten years	
(Pay Matrix Level 7 to 11)	payment.	
Commandant and above or	Rs. 1,20,000/- Ten years	
(Pay Matrix Level 12 and	payment.	
above)		

WARD ENTITLEMENT AND CGHS CONTRIBUTION		
General Ward	Upto Rs. 47,600/-	•
Semi Private Ward	Rs. 47,601/- to	Rs. 63,100/-
Private Ward	Rs. 63,101 and ab	ove

Pensioners have an option to get their CGHS pensioner card पेंशनर्स के पास यह विकल्प होगा कि वे अपना सीजीएचएस पेंशनर

अंशदान की दर		
आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक	रू. 3,000 / — एक वर्ष की	
(पे मेट्रिक्स स्तर 1 से 5)	अदायगी	
उप निरीक्षक अथवा	रू. 5,400 / — एक वर्ष की	
(पे मेट्रिक्स स्तर 6 केवल)	अदायगी	
निरीक्षक से उप कमाण्डेन्ट	रू. 7,800 ∕ — एक वर्ष की	
(पे मेट्रिक्स स्तर ७ से ११)	अदायगी	
समादेष्टा और ऊपर अथवा	रू. 12,000 / — एक वर्ष	
(पे मेट्रिक्स स्तर 12 और ऊपर)	की अदायगी	

(ग) केवल दिल्ली / एनसीआर में रह रहे पेशंनर के लिए

	दिल्ली एनसीआर में रह रहे पेंशनर्स के संबंध मेंसीजीएचएस कार्ड बनवाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज		
1	पेंशनर्स द्वारा उपभोग किए जा रहे चिकित्सा भत्ते को		
	तत्काल प्रभाव से बंद करना।		
2	सेवा में सीजीएचएस कार्ड को जमा करने के संबंध में		
	आवश्यक प्रमाणपत्र उनके पास हैं अथवा नहीं,		
3	पेंशन अदायगी आदेश और एलपीसी		
4	आश्रित बच्चों का प्रमाणपत्र (२५ वर्ष तक की आयु के		
	अविवाहित और बेरोजगार)		
5	आवासीय प्रमाणपत्र की फोटोप्रति / यदि किराए के घर में हैं		
	तो मकान मालिक के साथ किराया बंध पत्र अवश्य होना		
	चाहिए।		
6	वेतन एवं लेखा अधिकारी, सीजीएचएस दिल्ली के पक्ष में		
	निम्नलिखित संबद्ध राशि (दस वर्ष अंशदान) के अनुसार		
	एक राष्ट्रीय बैंक का डिमांड ड्राफ्ट।		

	स सुविधा के लिए संशोधित	
मासिक अंशदान		
पे मेट्रिक्स स्तर 1 से 5	₹5. 250 / -	
पे मेट्रिक्स स्तर 6	₹5. 450/-	
पे मेट्रिक्स स्तर ७ से ११	₹5. 650 / -	
पे मेट्रिक्स स्तर 12 और इससे	₹5. 1000/-	
ऊपर		

अंशदान की दर		
उप निरीक्षक अथवा	रू. 5,4000 / —दस वर्ष की	
(पे मेट्रिक्स स्तर ६ केवल)	अदायगी	
निरीक्षक से उप कमाण्डेन्ट	रू. ७,८००० / – दस वर्ष की	
(पे मेट्रिक्स स्तर ७ से ११)	अदायगी	
समादेष्टा और इससे ऊपर	रू. 1,20,000 / – दस वर्ष	
अथवा (पे मेट्रिक्स स्तर 12 और	की अदायगी	
इससे ऊपर)		

वार्ड हकदारी और सीजीएचएस योगदान		
सामान्य वार्ड	रू. 47,600 ∕ —तक	
सेमी प्राईवेट वार्ड	रू. 47,601 से रू. 63,100 / —तक	
प्राईवेट वार्ड क. 63,101 / – और ऊपर		
figure of the real factor of the second forms of the second forms		

made by either making CGHS contribution on an annual basis (twelve months) or by making contribution for 10 (ten) years [120 (one hundred and twenty) months] for getting a pensioner CGHS card with life-time validity. It is clarified that:-

- ➤ Contribution to be made by pensioners/family pensioners would be the amount that they were subscribing at the time of their retirement or at the time of death of the Government servant.
- Pensioner beneficiaries, who have already obtained CGHS card with lifetime validity by paying a lump sum amount equivalent to 10 years' contribution, will not be required to pay any additional amount as a result of the revision in the rates of contribution for availing CGHS facility.
- Entitlement of pensioners/family pensioners who have already deposited their contribution for life time CGHS facility, will not be changed.
- Pensioners/family pensioners who are making contribution to the CGHS on an annual basis and wish to continue to avail CGHS benefits will have to contribute at the revised rates upto the time of contribution needed to cover a period of a total of ten years from the time pensioner CGHS card was issued for the first time to them.
- Any pensioner/family pensioner who is entitled to avail CGHS facility has not so far got his/her pensioner CGHS card made the rate of contribution in such cases will be with reference to the grade pay that he/she would have drawn in the post held by him/her

कार्ड या तो वार्षिक आधार (बारह महीने) पर सीजीएचएस अंशदान के आधार पर अथवा 10 वर्षों (एक सौ बीस महीने) का अंशदान करते हुए आजीवन वैद्यता के साथ सीजीएचएस कार्ड बनवा सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि :-

- पेंशनर्स/परिवार के पेंशनर्स के द्वारा किया गया अंशदान वह राशि होगी जिसके लिए वे अपनी सेवानिवृत्ति के समय अथवा सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय अंशदान कर रहे होंगे।
- पेंशन के लाभार्थी, जिन्होंने, 10 वर्षों के योगदान के समतुल्य एकमुश्त राशि का भुगतान करत हुए आजीवन वैधता के साथ पहले ही सीजीएचएस कार्ड प्राप्त कर लिया है, उन्हें सीजीएचएस सुविधा का लाभ उठाने के लिए योगदान की दरों में संशोधन के परिणाम स्वरूप किसी अतिरिक्त राशि को अदा करना अपेक्षित नहीं होगा।
- पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स की हकदारी, जिन्होंने पहले ही सीजीएचएस की आजीवन सुविधा के लिए पहले अपना अंशदान जमा करवा दिया है, में परिवर्तन नहीं होगा।
- पेंशनर्स / फैमिली पेशनर्स जो सीजीएचएस में वार्षिक आधार पर अंशदान कर रहे हैं औरजो सीजीएचएस लाभों को आगे भी उठाना चाह रहे हैं, उन्हें संशोधित दरों पर उनको पहली बार जारी किए गए पेशनर सीजीएचएस कार्ड के साथ कुल दस वर्षों की अविध को शामिल करने के लिए संशोधित दरों पर अंशदान देना होगा।
- कोई पेंशनर / फैमिली पेंशनर जो सीजीएचएस सुविधा को प्राप्त करने के हकदार रहे हो परंतु उन्होंने अब तक ऐसे मामलों में अंशदान की दर पर सीजीएचएस कार्ड नहीं बनवाया है । शेष अविध के लिए अंशदान की संशोधित दर उस ग्रेड वेतन के संदर्भ में होगी जो उनके द्वारा (अपनी सेवानिवृत्ति / मृत्यु के समय) धारित पद में आहरित किया गया हो । वह अपनी सेवानिवृत्ति / मृत्यु के समय तक सेवा में रहे हों।

Facilities under CGHS

The facilities available under CGHS mainly include:-

- Consultation with the Medical Officer at CGHS dispensary, poly clinic or hospital
- > X-Ray, Laboratory and other diagnostic facilities.
- > Supply of medicines, etc.
- Hospitalization facilities.
- > Reimbursement of cost of implants for heart ailments, hearing aids, intra-ocular lens etc.

सीजीएचएस के अधीन सेवाएं

सीजीएचएस के अधीन उपलब्ध सेवाओं में मुख्यतः शामिल है:-

- सीजीएचएस डिस्पेंशनरी, पोली क्लिनिक अथवा अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के साथ परामर्श।
- 🕨 एक्स-रे, प्रयोगशाला और अन्य डायग्नोस्टिक सुविधाएं।
- 🕨 दवाओं की आपूर्ति इत्यादि।
- 🗲 अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा।
- दिल संबंधी प्रत्यारोपण, कान की मशीन, इंटरा—ओकुलर लैंस इत्यादि की कीमतों की प्रतिपूर्ति।

8. <u>FINANCIAL BENEFITS ON VOLUNTARY</u> <u>RETIREMENT</u>

(After Completion of 20 years qualifying service)

- Pension Once an employee rendered minimum pensionable service of 20 years, the pension is 50% of the average emoluments received during the past 10 months or the last pay drawn whichever is more beneficial, subject to minimum of ₹ 9,000.
- Gratuity One fourth of emoluments for each completed six monthly period of qualifying service subject to maximum of 16 ½ times the Emoluments of ₹ 20 Lakhs, whichever is less. Emoluments for Gratuity means last pay drawn plus DA.
- 3. **Commutation of Pension** Not exceeding 40% of monthly basic pension with reference to the commutation factor bases on age on next date of birth as per following:-

Age next birthday	Commutation valaue
39	9.103
40	9.090
41	9.075
42	9.059
43	9.040
44	9.019
45	8.996
46	8.971
47	8.943
48	8.913
49	8.881
50	8.846
51	8.808
52	8.768
53	8.724
54	8.678
55	8.627
56	8.572
57	8.512
58	8.446
59	8.371
60	8.287
61	8.194

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के वित्तीय फायदे

(20 वर्ष की अर्हक सेवा के पूरा करने के पश्चात)

- 1. पेंशन—कर्मचारी जब एक बार कम से कम 20 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा कर लेता है तो पिछले 10 महीनों के दौरान प्राप्त औसतन परिलब्धियों अथवा अंतिम लिए गए वेतन, जो भी ज्यादा होगी का 50 प्रतिशत पेंशन होगा जोकि कम—से—कम 9,000/—रूपए होगी।
- 2. उपदान—अर्हक सेवा के प्रत्येक छः महीने की अवधि पूरा होने पर परिलब्धियों का एक चौथाई अधिकतम 16 1/2 गुणा या परिलब्धियों का 20 लाख रूपए, जो भी कम हो। उपदान के लिए परिलब्धियों का अर्थ है महंगाई भत्ते के साथ आहरित अंतिम वेतन।
- 3. **पेंशन की कटौती**—. निम्नलिखित के अनुसार जन्म की अगली तारीख पर उम्र के आधार पर कम्यूटेशन कारक के संदर्भ में मासिक मूल पेंशन का 40% से अधिक नहीं:-

अगले जन्मदिन को आयु	कम्युटेशन मूल्य
39	9.103
40	9.090
41	9.075
42	9.059
43	9.040
44	9.019
45	8.996
46	8.971
47	8.943
48	8.913
49	8.881
50	8.846
51	8.808
52	8.768
53	8.724
54	8.678
55	8.627
56	8.572
57	8.512
58	8.446
59	8.371
60	8.287
61	8.194

- Encashment of Earned Leave Cash equivalent of leave salary admissible for number of earned leave at the credit of employee on the last day his service, subject to a maximum of 300 days. (Last pay Drawn + DA).
- Encashment of Half Pay Leave Cash equivalent to half pay leave at the credit of employee on the last of service. The Maximum HPL can be encashed only to complete shortfall of 300 days while encashment of Earned Leave.
- 6. **GPF Final Payment** GPF amount at the credit of employee on the last day of service.
- 7. **Fixed Medical Allowance** ₹ 1,000 per month wef 01.07.2017 or to get CGHS facility for her/himself and dependents.
- 8. **Payment of CGEGIS** Accumulated Saving fund as per Table.
- 9. Retirement TA.: As already mentioned in para 6.

- 4. अर्जित अवकाश नकदीकरण—कर्मचारी को उसकी सेवा के अंतिम दिन पर अर्जित अवकाश की संख्या के लिए स्वीकार्य अवकाश वेतन के बराबर नकदी, अधिकतम 300 दिन। (अंतिम वेतन अहरण + महंगाई भत्ता)
- 5. अर्द्ध वेतन अवकाश का नकदीकरण—कर्मचारी को सेवा के अंत में अर्द्ध—वेतन अवकाश के बराबर नकदी । अधिकतम एचपीएल का नकदीकरण किया जा सकता है जब अर्जित अवकाश के नकदीकरण के समय 300 दिन पूरे करने की जरूरत हो।
- 6. जीपीएफ अंतिम राशि—जीपीएफ की राशि का भुगतान कर्मचारी की सेवा के अंतिम दिन में होगा।
- 7. नियत चिकित्सा भत्ता—दिनांक 01.07.2017 से 1,000 रूपए प्रतिमाह अथवा अपने ओर आश्रित के लिए सीजीएचएस सुविधा लेगा।
- 8. सीजीईजीआईएस—तालिका के अनुसार संचित बचत निधि।
- 9. सेवानिवृत्तिटीए -पैरा 6 में पहले ही उल्लेखित है।

9. FAMILY PENSION/RETIREMENT BENEFITS

From 01.01.2016, under relevant rules Family pension is admissible to NOK of deceased employee.

1. FAMILY PENSION

The amount of Family pension will be 30% of the average emoluments or 30% of emoluments drawn on the day of death of Govt. Servant, whichever is more beneficial.

Formula of Normal Family Pension

30% of Last Basic Pay Drawn in Pay Matrix Level.

Date of Death : 15.07.2017
Date of birth : 06.06.1963
Qualifying Service : 30 Years
Last Basic Pay in Pay Matrix-8 : Rs. 76,500
Normal Rate of Family Pension : Rs. 76,500x 30%

= Rs. 22,950

Enhanced Rate of Family Pension : Rs. 76,500/2

= Rs. 38,250

Note: Enhanced rate of family pension will be payable from the date following the date of death of the pensioner for a period of 7 years or till the date, the pensioner would have attained the age of 67 years, whichever is earlier.

Note: Where a Government servant dies while in service, the rate of family pension payable to the family shall be equal to fifty per cent of the pay and the amount so admissible shall be payable from the date following the

9. पारिवारिक पेंशन/सेवानिवृति लाभ

01.01.2006 से संगत नियमों के अधीन पारिवारिक पेंशन मृतक कर्मचारी के नजदीकी रिश्तेदार को स्वीकार्य है।

1. परिवारिक पेंशन

परिवारिक पेंशन एवरेज अमोलुमेंटस का 30 प्रतिशत होगी या जो मृतक कार्मिक मृत्युकी तिथि को आहरित कर रहा है का 30 प्रतिशत जो भी लाभकारी हो, लागू होगा ।

परिवारिक पेंशन की सामान्य दर की गणना

पे मेट्रिकस लेवल में अंतिम वेतन का 30 प्रतिशत

मृत्यु की तिथि : 15.07.2017 मृतक की जन्मतिथि : 06.06.1963 अर्हक सेवा : 30 वर्ष वेतन मेट्रिक्स 08 में अंतिम मूलवेतन : रू. 76,500

पारिवारिकपेंशन की सामान्य दर : रू. 76,500 X30%

= 板. 22,950

परिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर : रू. 76,500/2

= रू. 38,250*

नोटः पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर पेंशनर्स की मृत्यु की तिथि से अगली तिथि से 7 वर्षों की अवधि के लिए अथवा उस तिथि तक जब तक पेंशनर्स 67 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, जो भी पहले हो, देय होगी।

नोटः जहाँ सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, वहाँ परिवार को देय पारिवारिक पेंशन की दर वेतन के पच्चास प्रतिशत के बराबर होगी और इस प्रकार स्वीकार्य राशि कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख से दस साल की अविध के date of death of the Government servant for a period of ten years.

In the case of Death after Retirement

50% of pay drawn at the time of retirement. (Payable for a period of seven years or upto the date of which he would have attained 67 years had he survived whichever is less)

Date of Death : 15.07.2023 (After retirement)

Date of birth of deceased : 06.06.1963
Last Basic Pay in Pay Matrix-8 : Rs. 76,500
Enhanced Rate of Family Pension : Rs. 76,500/2

= Rs. 38,250*

Normal Rate of Family Pension : Rs. 76,500 x 30%

= Rs. 22,950**

- (i) *Enhanced rate of family pension @ ₹ 38,250 (With Dearness Relief) will be admissible w.e.f. 15.07.2023 to 05.06.2030 till death or re-marriage.
- (ii) **Normal rate of family pension ₹ 22,950 (With Dearness Relief) will be admissible wef 06.06.2030 till death or re-marriage.

The Family pension

Note – In no case, Basic Pension granted shall be less than Rs.9,000/- per month.

Additional family pension shall be payable to the family pensioner after completion of age of eighty years in the following manner

renewing manner			
SI.N	Age of family	Additional family pension	
0.	pensioner		
1	From 80 years to	20 per cent of basic family	
	less than 85 years	pension	
2	From 85 years to	30 per cent of basic family	
	less than 90 years	pension	
3	From 90 years to	40 per cent of basic family	
	less than 95 years	pension	
4	From 95 years to	50 per cent of basic family	
	less than 100 years	pension	
5	100 years or more	100 per cent of basic	
		family pension	

Note. The additional family pension shall be payable from first day of the calendar month in which it falls due.

10. Classification of cases of death or disability under the Central Civil Services (EXTRAORDINARY PENSION) RULES, 2023

If an employee sustains injuries, diseases or dies and the injury, disease or death is attributable to Government service, he/his family becomes eligible for the grant of an award under the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023 which are applicable to all.

For determining the compensation payable for **death** or **disability** under different circumstances, the cases are categorized in five distinct categories as under:-

लिये देय होगी ।

सेवानिवृति के पश्चातमृत्यु के मामलेमें

सेवानिवृति के समय वेतन का 50% आहरित किया गया। (सात वर्षों की अवधि के लिए देय अथवा 67 वर्षों तक वह जीवित रहता है, जो भी कम हो)

मृत्यु की तिथि : 15.07.2023 (सेवा निवृत्ति के बाद)

मृतक की जन्मतिथि : 06.06.1963

वेतनमेट्रिक्स ०७ में अंतिम मूलवेतन : रू. 76,500 पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर : रू. 76,500/2

= ₹₀. 38,250*

परिवारिक पेंशन की सामान्य दर : रू. 76,500 X30%

= र_{ि. 22,950**}

- (i) *पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दरें रू. 38,250 की दर से (महंगाई भत्ता छूट के साथ) 15.07.2023 से 05.06.2030 तक मृत्यु या पुनः विवाह तक स्वीकार्य रहेगा।
- (ii) **पारिवारिक पेंशन की सामान्य दर रू. 22,950 की दर से (महंगाई भत्ते के साथ) 06.06.2030 से मृत्यु तक अथवा पुनः विवाह तक स्वीकार्य रहेगी।

परिवारिक पेंशन

टिप्प्णी-

किसी भी मामले में मूल पेंशन रू. 9,000 प्रतिमाह से कम नहीं दी जाएगी।

परिवारिक पेंशनभोगी को अस्सी वर्ष की आयु पूरी होने पर निमनलिखित तरीके से अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन देय होगी :–

क.सं.	परिवारिक पेंशनभोगी	अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन
	की आयु	
1.	80 वर्ष सेओर 85 वर्ष	मूल पारिवारिक पेंशन का 20
	से कम	प्रतिशत
2	85 वर्ष से और 90	मूल पारिवारिक पेंशन का 30
	वर्ष से कम	प्रतिशत
3	90 वर्ष से और 95	मूल पारिवारिक पेंशन का 40
	वर्ष से कम	प्रतिशत
4	95 वर्ष से और 100	मूल पारिवारिक पेंशन का 50
	वर्ष से कम	प्रतिशत
5	100 वर्ष से	मूल पारिवारिक पेंशन का
	औरअधिकवर्ष	100 प्रतिशत

नोट : अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन उस कैलेंडर माह के पहले दिन से देय होगी, जिसमें वह देय है।

10. मृत्यु और निशक्ता के मामलों का वर्गीकरण

(अतिविशिष्ट पेंशन) नियम, 2023

मृत्यु या निःशक्ता के मामलों को उन परिस्थितियों के आधार पर जिनमें मृत्यु या निःशक्ता होती है, निम्नलिखित विशिष्ट श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा,

विभिन्न परिस्थितियों के तहत मृत्यु अथवा विकलांगता के लिए देय मुआवज़े का निर्धारण करने के लिए मामलों को निम्नानुसार चार अलग—अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :--

Category 'A'-

The death or disability due to natural causes not attributable to Government service and there is no causal connection between the death or disablement of the Government service.

Category 'B'-

The death or disability due to following causes, which are accepted as attributable to or aggravated by Government service, namely:-

(i) diseases contracted,- (a) because of continued exposure to a hostile work environment; or (b) on being subjected to occupational hazards or extreme weather conditions, resulting in death or disability; or (ii) accidents caused while on duty, not covered under Category 'C' or Category 'D'.

Category 'C'-

- (i) attributable to acts of violence by terrorists, extremists, anti-social elements, etc. at public places and not specifically targeted against the Government servant, including bomb blasts in public places or transport, indiscriminate shooting incidents in public, etc., whether in the performance of duty or otherwise;
- (ii) attributable to act of violence or attack by a fellow Government servant;
- (iii) due to riots or revolt by demonstrators or public servants, causing injuries to other Government servants who are employed in aid of the civil administration for quelling agitation;
- (iv) occurring while on duty in specified high altitude, inaccessible duty posts, etc. on account of natural disaster, extreme weather condition such as avalanche, snow storm, blizzards, flash floods or cloud burst or landslide, thunderstorm, lightning, extreme heat, sand storms in desert areas, etc.;
- (v) Occurring during rescue operations, e.g. fire-fighting, floods, storms, etc.

Category 'D'-

- (i) attack targeted against the Government servant by terrorists, extremists, anti-social elements, etc.;
- (ii) action against terrorists, extremists, anti-social element, etc;
- (iii) enemy action in international war or border skirmishes and warlike situations;
- (iv) operation to evacuate Indian nationals from a war-torn foreign country;
- (v) extremists acts, exploding of mines, etc., while on the way to an operational area or on return therefrom, kidnapping by extremists, training exercises with live ammunition, simulation drills such as real battle-like conditions created for war training exercises, rehearsals, etc.

श्रेणी 'ए'

मृत्यु या निःशक्तता सरकारी सेवा के कारण न होकर प्राकृतिक कारणों से हुई हो और सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या निःशक्तता और सकरारी सेवा के बीच कोई कारण संबंधी संयोजन नहीं है ।

श्रेणी 'बी'

मृत्यु या निःशक्तता जिसका कारण सरकारी सेवा माना गया है या जो सरकारी सेवा के कारण बढ़ी हो । इनमें सिम्मिलित होंगे अर्थातः—

- 1. ऐसा रोग जो (क) प्रतिकूल कार्य वातावारण, या (ख) व्यावसायिक खतरों या अत्यधिक गर्म या ठंडे वातावरण की स्थिति में लगातार कार्य करने के कारण हुए हों, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या निःशक्तता हुई हो या
- कर्तव्य के दौरान ऐसी दुर्घटनाएं जो श्रेणी 'ग' या श्रेणी 'घ' के अधीन नहीं आती हैं।

श्रेणी 'सी'

मृत्यु या निःशक्तता,

- 1. कर्तव्य करते समय या अन्यथा, सार्वजनिक स्थानों पर आतंकवादियों, उग्रवादियों,असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसक कृत्यों के कारण और सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विशेष रूप से लक्षित नहीं, जिसमें सार्वजनिक स्थानों या परिवहनों में बम विस्फोट, लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी करने की घटनाएं आदि भी सिम्मिलित हैं;
- 2. किसी साथी सरकारी कर्मचारी द्वारा हिसक कार्रवाई या प्रहार करने के कारण :
- 3. प्रदर्शनकारियों या लोक सेवकों द्वारा दंगों या विद्रोह के कारण, आंदोलन का दमन करने में सिविल प्रशासन की सहायता हेतु काम में लगाए गए अन्य सरकारी कर्मचारियों को हुई क्षुति के मामले;
- 4. प्राकृतिक आपदा, हिमस्खलन, बर्फीला तूफान, अचानक बाढ़ या बादल फटना या भूस्खलन, गरज, बिजली अत्याधिक गर्मी रेगिस्तानी इलाकों में रेतीले तूफान आदि जैसे चरम मौसम की स्थिति के कारण विनिर्दिष्ट ऊंचाई, दुर्गम कर्तव्य पोस्टों आदि में अकर्तव्य के दौरान घटित:
- 5. बचाव कार्यो अर्थात् अग्रिशामक, बाढ़, तूफान आदि के दौरान घटित।

श्रेणी 'डी'

परिणामस्वरूप हाने वाली मृत्यू या निःशक्ताः

- 1. सरकारी कर्मचारी पर आतंकवादियों, उग्रवाादयों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हमला;
- 2. आतंकवादियों, उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों आदि के विरूद्ध कार्रवाई;
- 3. अंतरराष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर मुठभेड़ और युद्ध—तुल्य स्थितियों में शत्रु की कार्रवाई;
- 4. युद्धग्रस्त विदेशी देश से भारतीय नागरिकों को निकालने का अभियान;
- 5. किसी कार्रवाई क्षेत्र में जाते समय वहां से लौटते समय चरमपंथी कृत्यों, खानों का विस्फाट, आदि, उग्रवादियों द्वारा अपहरण, असली गोला बारूद्व के साथ प्रशिक्षण अभ्यास, युद्व प्रशिक्षण अभ्यासों, पूर्वाभ्यासों के लिए बनाई गई वासतिवक युद्व—तुल्य स्थितियों जैसे स्थितियों जैसे स्थितियों जैसे सिमुलेशन अभ्यास, आदि।
- 2(क) असाधारण कुटुंब पेंशन या निःशक्ता पेंशन की मंजूरी के लिए प्रवर्ग 'ख', प्रवर्ग 'ग' और प्रवर्ग 'घ' के अधीन आने वाले मामलों की परिस्थितियों की उदाहरण सूची जिनमें सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या निःशक्ता का कारण सरकारी सेवा माना गया है, अनुसूची 3 में निर्दिष्ट है।
- (ख) अनुसूची 3 में सूची उदाहरणात्मक है और मृत्यु या निःशक्ता के एंसे मामले जो अनुसूची 3 की सूची में सम्मिलित नहीं हैं, परन्तु इस

2 The illustrative list of circumstances in which death or disability of a Government servant is to be reckoned as attributable to Government service for grant of Extraordinary Family Pension or Disability Pension of cases falling under category 'B', category 'C' and category 'D' shall be as refeered at Schedule III of CCS (EOP) Rules 2023.[See Rule 9]

नियमों के अधीन निःशक्ता पेंशन का कुटुंब पेंशन मंजूर करने की शर्तों को अन्याा। पूरा करते हैं, पर निर्णय उन परिस्थितियों के आधार पर लिया जाएगा जिनमें मृत्यु या निःशक्ता हुई थी। 3 उप—नियम (1) में प्रवर्ग 'क' के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी की निःशक्ता या मृत्यु होने पर पेंशन और कुटुंब पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के उपबंधों के अनुसार दी

जाएगी। उप–नियम (1) में प्रवर्ग 'ख', प्रवर्ग 'ग' और प्रवर्गे 'घ' के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी की निःशक्ता या मृत्यु होने पर पेंशन और कुटुंब पेंशन इन नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

FAMILY PENSION:-

i. For cases covered under Category 'A' :-

Family pension is payable in terms of provisions contained in CCS (Pension) Rules, 2021.

ii. Family pension to widow/ widower

Category B : Pay x 60/100 upto the

> date of death or Re-mariage

Category C and D : 100% of Pay upto the

> date of death or Re-mariage

iii. Family pension to dependant children including adopted children and step children:-

If the deceased Government servant is not survived by a widow or widower of if the widow or widower dies or remarries, 100% of the family pension under category 'B' or 60% of the family pension under Category 'C' & 'D' shall be payable to the child or children who fulfil the following conditions:-

- i. in the case of son (including adopted son and step son), other than a son suffering from a mental or physical disability-unmarried, below the age of twenty five years and not earning his livelihood
- ii. In the case of daughter (including adopted daughter and step daughter) other than a daughter suffering from a mnetal or physical disability-unmarried or widowed or divorced and not earning her livelihood.
- iii. In the case of son or a daughter suffering from a mental or physical disability (including adopted so or daughter and step son or daughter)-not earning his or her livelihood.

iv. Family pension to parents:-

सीसीएस (ईओपी) नियमावली की अनुसूची 💵 (नियम ९ देखें) कृटुंब पेंशन:-

श्रेणी 'क' के तहत आने वाले मामलों के लिए:--सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में पारिवारिक पेंशन देय है।

ii. कुटुंब पेंशन (विधवा/विध्र)

श्रेणी 'ख' वेतन का 60 प्रतिशत

मृत्यू या पुनर्विवाह तक

श्रेणी 'ग' एवं ' घ' : वेतन का 100 प्रतिशत

मृत्यु या पुनर्विवाह तक

iii. कुटुंब पेंशन (आश्रित बच्चों / दतक बच्चे / सौतेले बच्चे)

यदि मृतक सरकारी कर्मचारी का कोई उत्तरजीवी विधवा या विधुर नहीं या यदि विधवा या विधुर की मृत्यु हो जाती है या पुनर्विवाह हो जाता है, तो यथास्थिति, श्रेणी 'ख' के अधीन कुटुंब पेंशन का 100 प्रतिशत या श्रेणी 'ग' एवं 'घ' के अधीन कुटुंब पेंशन का 60 प्रतिशत, ऐंसे बच्चे या बच्चों को देय होगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हो :-

- a) पुत्र (मानसिक या शारीरिक निःशत्तता से ग्रस्त पुत्र के अतिरिक्त), (जिसमें दत्तक पुत्र और सौतेले बेटे सम्मिलित हैं) की दशा में -अविवाहित, पच्चीस वर्ष से कम आयु और अपना जीविकोपार्जन नहीं करता हो
- b) पुत्री (मानसिक या शारीरिक निःशत्तता से ग्रस्त पुत्री के अतिरिक्त), (जिसमें दत्तक पुत्री और सौतेली पुत्री सम्मिलित हैं) की दशा में -अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा और अपना जीविकोपार्जन नहीं करती हो
- c) पुत्री मानसिक या शारीरिक निःशत्तता (जिसमें दतक पुत्र या पुत्री और सौतेला पुत्र या पुत्री सिम्मिलित हैं) से पीड़ित पुत्र या पुत्री की दशा में – अपना जीविकोपार्जन नहीं कर रहीं / रहे

iv. <u>कुटुंब पेंशन (माता–पिता)</u>

Where a deceased Government servant is not survived by a widow or widower or a child eligible for family pension or if the widow or widower and all children cease to be eligible for family pension, family pension shall be payable to parents for life:-

Category 'B':

50% of the family pension entitled to a widow subject to the conditions that the parents were dependent on the Government servant at the time of his or her death and the amount of family pension shall not be less than the amount of family pension admissible in accordance with rule 50 of the CCS (Pension) Rules, 2021

Category 'C' & 'D':

70% of the family pension entitled to a widow if both parents are alive and at the rate of 60% of the family pension entitled to a widow if only one parent is alive

V. Family pension to siblings:

Where a deceased Government servant is not survived by a widow or widower or a child or parents eligible for family pension or if the widow or widower or children or parents of the Government servant cease to be eligible for family pension, the family pension equal to 50% of the rate specified in sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 11 of CCS (Extraordinary pension) Rules 2023, as the case may be, shall be payable to the depenent sibling of the deceased Government servant till he or she attains the age of twenty five years or gets married, whichever is earlier.

Where the dependent sibling ceases to be eligible for family pension or where there is no dependent sibling below the age of twenty five years eligible for family pension but the Government servant is survived by a dependant sibling who is suffering from a mental or physical disability, family pension equal to fifty percent of the rate specified in clause (a) shall be payable for life to such disabled sibling, if such sibling was wholly dependent upon the Government servant immediately before his or her death:

Provided that the amount of family pension under this subrule shall not be less than the amount of family pension admissible in accordance with rule 50 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to a dependant sibling who is suffering from a mental or physical disability:

Provided further that a sibling who is suffering from a mental or physical disability shall be eligible for family pension for life in the same manner and subject to same eligibility conditions and following the same disability criteria, as laid down in clause (e) and clause (f) of sub-rule (4) in the case of son or daughter of a Government servant

जहां किसी मृतक सरकारी कर्मचारी की कुटुंब पेंशन के लिए विधवा या विधुर अथवा पात्र बच्चा उत्तरजीवी नहीं है या यदि विधवा या विधुर और सभी बच्चों की कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो जाती है, तो कुटुंब पेंशन माता—पिता का आजीवन देय होगी '

श्रेणी 'ख': के अधीन, विधवा को अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन के 50 प्रतिशत की दर से, इस शर्त के अधीन कि माता—पिता उसकी मृत्यु के समय सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे और कुटुंब पेंशन की रकम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50 के अधीन स्वीकार्य कुटुंब पेंशन की रकम से कम नहीं होगी और

श्रेणी 'ग' एवं ' घ': के अधीन, विधवा को अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन के 75 प्रतिशत की दर से, यदि माता—पिता दोंनो जीवित हैं और विधवा को अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन के 60 प्रतिशत की दर से, यदि केवल एक माता या पिता जीवित हैं. के हकदार होंगे ।

v. कुटुंब पेंशन (आश्रित सहोदरो)

जहां किसी मृत सरकारी कर्मचारी की कुटुंब पेंशन के लिए पात्र विधवा या विधुर अथवा बच्चा या माता—पिता उत्तरजीवी न हो या कुटुंब पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी की विधवा या विधुर, बालकों और माता—पिता की पात्रता समाप्त हो गई है, तो इन नियमों के नियम 11 के उपनियम (1) या उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट दर पर, यथास्थिति, कुटुंब पेंशन सरकारी कर्मचारी के आश्रित सहोदरों को पच्चीस वर्ष की आयु पूरी होने या विवाह होने तक, जो भी पहले हो, देय होगी।

जहां आश्रित सहोदर की कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो जाती है या जहाँ पच्चीस वर्ष से कम आयु का कोई आश्रित सहोदर कुटुंब पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं, किंतु सरकारी कर्मचारी का उत्तरजीवी आश्रित सहोदर है जो मानिसक या शारीरिक निःशत्तता से ग्रस्त है, ऐसे निःशत्त सहोदर को कुटुंब पेंशन खंड (क) में विनिर्दिष्ट दर का 50 प्रतिशत आजीवन देय होगा, यदि ऐसा सहोदर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पूर्व उस पर पूर्णतः आश्रित था ।

परंतु इस उपनियम के अधीन मानसिक या शारीरिक निःशत्तता से ग्रस्त आश्रित सहोदर को देय कुटुंब पेंशन की राशि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50 के अधीन स्वीकार्य कुटुंब पेंशन की राशि से कम नहीं होगी :

परंतु यह और कि ऐसा सहोदर उसी रीति से और पात्रता की उन्हीं शर्तों के अधीन और उसी निःशत्तता मानक का अनुसरण करते हुए, कुटुंब पेंशन के लिए आजीवन पात्र होगा, जैसा कि, सरकारी कर्मचारी के पुत्र या पुत्री की दशा में खंड (ड') में निर्दिष्ट किसी निःशत्तता से ग्रस्त होने, जिसके कारण पच्चीस वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात भी वह आजीविका का उपार्जन करने के असमर्थ हो, जैसा कि उपनियम (4) के खंड (ड') खंड (च) में यथा

suffering from any disability referred to in clause (e), so as to render him or her unable to earn a livelihood even after attaining the age of twenty-five years:

Provided also that the family pension to the sibling who is uffering from a mental or physical disability shall be payable if the disability existed before the death of the Government servant.

Ref. Rule 11 & 12 of CCS (Extraordinary pension) Rules 2023

CONSTANT ATTENDANT ALLOWANCE

In the case of a pensioner, who is eligible for disability pension for hundred percent disability under these rules and in whose case, based on the condition of the accepted disability or disabilities, the medical board is of the opinion that the pensioner is completely dependent on others for day to day activities and needs the services of a constant attendant, the Constant Attendant Allowance shall be granted to him at the rate decided by the Government from time to time and the Constant Attendant Allowance shall be payable, for life, in addition to the monthly disability pension but no dearness relief shall be admissible on the Constant Attendant Allowance.

Ref. Rule 2 & 10 of CCS (Extraordinary pension) Rules 2023

DISABILITY COMPENSATION IN LIEU OF DISABILITY PENSION.

If the Government servant is retained in service in spite of a disablement on account of an injury or disease, he shall be paid compensation in lump sum in lieu of the disability element of disability pension by arriving at the capitalised value of such disability element with reference to the commutation table in force from time to time:

Provided that the broad-banding as provided in sub-rule (3) of rule 7 of these rules shall not be applicable in such cases.

Service element of disability pension shall not be taken into account for determining the amount of the lump sum compensation.

Illustration.- The amount of lump sum compensation in lieu of disability pension in the case of a Government servant, who has completed the age of 40 years and was drawing a basic pay of Rs 30,000/- per month on the date of injury or date of disease, as the case may be, and who is retained in Government service in spite of a disability of 40%

in Category 'B', shall be as under-

Rs. $30,000 \times 30/100$ (Disability element of disability pension) $\times 40/100$ (Percentage of disability) $\times 9.075$ (Commutation factor for age of 41 years on next birthday) $\times 12$ (Number of months in a year) = Rs. 3,92,040/-.

अधिकथित है

परंतु यह और भी कि कुटुंब पेंशन ऐसे सहोदर को तब देय होगी जब निःशत्तता सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से पूर्व मौजूद हो ।

संदर्भ : केंद्रिय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली 2023 के नियम 11 एवं 12

सतत परिचर भत्ता ।

ऐसे पेंशनभोगी के मामले में, जो इन नियमों के अधीन शत—प्रतिशत निःशत्तता के लिऐ निःशत्तता पेंशन का पात्र है और जिसके मामले में स्वीकृत निःशत्तता या निःशत्तताओं की स्थिति के आधार पर, चिकित्सा बोर्ड की राय है कि पेंशनभोगी दिन—प्रतिदिन के लिए कियाकलापों के लिए पूर्णतः दूसरों पर आश्रित है और उसे एक सतत परिचर की सेवाओं की आवश्यकता है, तो उसे समय—समय पर सरकार द्वारा तय की गई दर पर सतत परिचर भता दिया जाएगा और मासिक निःशत्तता पेंशन के अतिरिक्त सतत परिचर भत्ता अजीवन देय होगा किंतु सतत परिचर भत्ते पर कोई मंहगाई राहत देय नहीं होगी ।

संदर्भ : केंद्रिय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली 2023 के नियम 2 एवं 10

दिव्यांग पेंशन के बदले अशक्तता क्षतिपूर्ति

ऐसा सरकारी कर्मचारी को कोई क्षिति या रोग होने के कारण निःशत्तता होने के बावजूद भी ऐसी सेवा में रखा जाता है, तो उसे अवधिक रूप से प्रवृत संराशीकरण सारणी के निर्देश से ऐंसे निःशत्तता तत्व के पूंजीगत मूल्य पर पहुंचकर निःशत्तता पेंशन के निःशत्तता तत्व के स्थान पर एकमुश्त प्रतिकर संदत किया जाएगा ।

परंतु इन नियमों के नियम 7 के उप–नियम (3) में यथा उपबंधित ब्रॉड–बैंडिग एसे मामलों में लागू नहीं होगा ।

एकमुश्त प्रतिकर की राशि का निर्धारण करने के लिए निःशत्तता पेंशन के सेवा तत्व को ध्यान में नही रखा जाएगा ।

उदाहरण:—ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसने 40 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और यथास्थिति, क्षित होने की तारीख या रोग होने की तारीख से प्रतिमास 30,000/— रूपए का मूल वेतन आहरित कर रहा है और जिसे श्रेणी 'ख' में 40 प्रतिशत निःशत्तता होने के बावजूद सरकारी सेवा में रखा जाता है, के मामले में निःशत्तता पेंशन के स्थान पर एकमुश्त प्रतिकर की रकम निम्नानुसार होगी :—

रूपए 30,000 / — का 30 प्रतिशत (निःशत्तता पेंशन का निःशत्तता तत्व) X 40 / 100 (निःशत्तता का प्रतिशत) Хकटौती गणकХविकलांगता की वास्तविक प्रतिशत का 100 से विभाजन

For the purpose of sub-rule (5), 'date of injury' shall be the actual date on which the injury is suffered in an accident or violence or such other date, as the authority competent to grant disability pension or family pension under rule 5, may fix and 'date of disease' shall be the date, as the authority competent to grant disability pension or family pension under rule 5, may fix with due regard to the opinion of the Medical Board:

Provided that the date of injury so fixed shall not be later han the date of the report of the Medical Board and the date of disease so fixed shall not be later than the date of the report of the Medical Board.

Ref. Rule 10 of CCS (Extraordinary pension) Rules 2023

उप—नियम (5) के प्रयोजन के लिए, 'क्षति होने की तारीख' वास्तिक तारीख होगी, जिस तारीख को दुर्घटना या हिंस के मामले में क्षिति हुई हो, या ऐसी अन्य तारीख जो नियम 5 के अधीन निःशत्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत की जाए और 'रोग की तारीख' वह तारीख होगी, जो नियम 5 के अधीन निःशत्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन मंजूर करने के लिए, सक्ष प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा बोर्ड की राय को ध्यान में रख कर नियत की गई हो

परंतु ऐसी नियत की गई क्षित होने की तारीख चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख से बाद की तारीख, नहीं होगी और ऐसी नियत की गई रोग होने की तारीख चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख से बाद की तारीख, नहीं होगी।

संदर्भ : केंद्रिय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली 2023 के नियम 10





Prepared by: Welfare Directorate, FHQ

क्रिन्द्रय औद्योगिक सुरक्षा बल्ने

केन्द्रीय औद्योगिकसुरक्षा बल

जमा / बचत एवंसरकारी योजनाओं से संबंधित पुस्तिका

सौजन्य :कल्याण निदेशालय, बल मुख्यालय।

1. BIMA YOJNA ON BANK DEPOSITS:-

(A) PRADHAN MANTRI SURAKSHA BIMA YOJNA:-

- Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana is available to people between 18 and 70 years of age with bank accounts.
- It has an annual premium of Rs.20/exclusive of taxes.
- The amount will be automatically debited from the account.
- ➤ In case of accidental death or full disability, the payment to the nominee will be Rs. 2 lakh and in case of partial Permanent disability Rs.1 lakh

(Source-www.financialservices.gov.in)

बैंक जमा पर बीमा योजना :-

(क) <u>प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाः</u>—

- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग जिनके पास बैंक खाते हैं, के लिए उपलब्ध है।
- इसका करों रहित रूपए 20 / का वार्षिक प्रीमियम है।
- राशि स्वतः ही खाते से कट जाएगी।
- दुर्घटना से मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता के मामले में नामिति को अदायगी रूपए 2 लाख होगी और आंशिक स्थायी अपंगता के मामले में रूपए 1 लाख होगी।

(स्त्रोत: www.financialservices.gov.in)

(B) PRADHAN MANTRI JEEVAN JYOTI BIMA YOJNA:

- Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana is available to people between 18 and 50 years of age with bank accounts.
- > It has an annual premium of Rs.436/-.
- > The amount will be automatically debited from the account.
- In case of death due to any reason, the payment to the nominee will be Rs. 2 lakh.

(Source-www.financialservices.gov.in)

(ख) प्रधानमंत्री जीवन ज्योतिबीमा योजनाः-

- प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के लोग जिनके पास बैंक खाते हैं, के लिए उपलब्ध है।
- इसका वार्षिक प्रीमियम रूपए 436 / है।
- 🕨 राशि स्वतः ही खाते से कट जाएगी।
- किसी अन्य कारण से मृत्यु के मामले में नामिति को अदायगी रूपए 2 लाख होगी।

(स्त्रोत : www.financialservices.gov.in)

2. OPTIONS FOR INVESTMENT FOR PERSONAL SAVINGS

Following investment options are available for personal saving:-

(A) Bank Deposits

(i) Saving Deposits:-

- A savings account is the most basic type of account at a bank, allowing you to deposit money, keep it safe, and withdraw funds as needed.
- Savings accounts pay interest on your deposits.

(Source: www.sbi.co.in)

(ii) Recurring Deposits:-

- Recurring Deposit is a special kind of Term Depositoffered by banks which help people with regular incomes to deposit a fixed amount every month into their Recurring Deposit account
- ➤ Earn interest at the rate applicable to Fixed Deposits.
- Minimum Period of RD is 6 months and maximum is 10 years

(Source: www.sbi.co.in)

(iii) Fixed Deposits:-

- A fixed deposit (FD) is a financial instrument provided by banks.
- FD provides investors a higher rate of interest than a regular savings account, until the given maturity date.

(Source: www.sbi.co.in)

2. व्यक्तिगत बचत के लिए निवेश के विकल्पः— व्यक्तिगत बचत के लिए निवेश के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं :—

(क) बैंक जमा

(i) बचत जमा :-

एक बचत खाता एक बैंक में सब से मूल प्रकार का खाता है जिसमें आप धनराशि जमा करवा सकते हैं, इसे सुरक्षित रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर धनराशि निकाल सकते हैं।

बचत खाते आपको अपनी जमा राशि पर ब्याज राशि भी प्रदान करते हैं।

(स्त्रोत: www.sbi.co.in)

(ii) आवर्ती जमा :-

- आवर्ती जमा एक विशेष प्रकार की जमा है जो बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है जो नियमित आय वाले लोगों को प्रत्येक माह अपने आवर्ती जमा खाते में एक निश्चित राशि जमा करने की सुविधा देते हैं।
 - निश्चित जमा पर लागू दर पर ब्याज प्राप्त करें।
- आवर्ती जमा के लिए न्यूनतम अवधि 6 माह की है और अधिकतम 10 वर्ष है।

(स्त्रोत: www.sbi.co.in)

(iii) सुनिश्चित जमा :-

- एक निश्चित जमा (एफडी) बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सुविधा है।
- एफडी निवेशकों को नियमित बचत खाते की तुलना में
 ब्याज की एक उच्चदर, परिपक्वता अवधि तक उपलब्ध करवाती
 है।

(स्त्रोत: www.sbi.co.in)

(B) Post Office Deposits:

(i) Post Office Time Deposit Account(TD):

- Account can be opened by cash/cheque.
- Nomination facility is available at the time of opening and also after opening of account.
- Account can be transferred from one post office to another.
- The investment under 5 year TD qualifies for the benefit of Section 80C of the Income Tax Act,1961.

(Source: www.indiapost.gov.in)

(ii)Post Office monthly Income Scheme Accounts(MIS):

- An individual can invest maximum Rs. 9 lakh.
- The interest rate is 7.4% per annum payable monthly wef. 01.01.2024.
- Maturity period is 5 years from 01.12.2011.
- ➤ Interest can be drawn through auto credit into savings account standing at same post office.
- Can be prematurely en-cashed after one year but before 3 years at the discount of 2% of the deposit and after 3 years at the discount of 1% of the deposit.

(Source: www.indiapost.gov.in)

3. Sukanya Samridhi Yojana

- This scheme is for bright future of daughter under 'Beti Bachao Beti Padhao compaign.
- Bank account can be opened for girl child (maximum two –three accounts can be opened in case younger siblings are twin girls) upto 10 years of age.
- > Deposit for only 15 years with maturity at 21 years.
- Facility of 50% payment after 18 years of age.
- > Facility of account closure on marriage after the age of 18 years.
- ➤ Minimum deposit can be done for Rs. 250/- and maximum for Rs. 1,50,000/- per financial year.
- ➤ It is offering the highest interest rate amongst all other small savings schemes.
- Income tax benefit is also available under Section 80C.

(Source: <u>Sukanya Samriddhi Yojna</u> | <u>National Portal</u> <u>of India</u>)

4. Govt. Schemes (for Senior Citizen):

A. Senior Citizen Saving Scheme after retirement:

- ➤ It is purely for Senior Citizen i.e. who attains the age of 60 years.
- Any person may open an account at any deposit office by making an application in <u>Form A</u> along with the amount of deposit in multiple of one thousand rupees, along with age proof.
- ➤ A person may operate more than one account subject to the condition that deposits in all accounts taken

(ख) डाक घर जमा :-

(i) डाक घर आवधिक जमा (टीडी)

- खाते को नकद/चैक द्वारा खोला जा सकता है।
 - नामिति सुविधा खाता खोलते समय और खाता खोलने के बाद भी उपलब्ध है।
- खाते को एक डाकघर से दूसरे डाकघर में स्थानांतिरति
 किया जा सकता है।
- पंचवर्षीय आविधकजमा निवेश आयकर अधिनियम, 1961
 की धारा 80 सी के तहत लाभ के हकदार हैं।

(स्त्रोत: www.sbi.co.in)

(ii) डाकघर मासिक आय योजना (एमआईएस)

- 🕨 एक व्यक्ति अधिकतम ९ लाख का निवेश कर सकता है।
- 01.01.2024 से बचत दर 7.4 प्रतिशत वार्षिक है जो मासिक देय होती है।
- 🕨 01.12.2011 से परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है।
- ब्याज को उसी डाकघर में बचत खाते में ऑटो केंडिट के माध्यम से आहरित किया जा सकता है।
- एक वर्ष के बाद लेकिन 3 वर्ष से पहले जमा के 2 प्रतिशत की छूट पर तथा 3 वर्ष के बाद जमा के 1 प्रतिशत की छूट पर समय से पहले भी भुनाया जा सकता है।

(स्त्रोत : www.indiapost.gov.in)

सुकन्या समृद्धि योजना

- यह योजना लड़की के बेहतर भविष्य के लिए है जो 'बेटी बचाओ बेटी पढायो' कैपेन के अंतर्गत है।
- 10 वर्ष तक की आयु की लड़की के लिए बैंक खाता खोला जा सकता है। यदि छोट भाई—बहनो में जुड़वां लड़िकयां है तो अधिकतम दो—तीन खाते खुलवाए जा सकते हैं।
- 21 वर्ष पर परिपक्वता राशि के साथ केवल 15 वर्षी के लिए जमा।
- 🕨 18 वर्ष की आयु के बाद 50 प्रतिशत राशि की सुविधा।
- 18 वर्ष की आयु के बाद शादी होने पर खाता बंद करने की सुविधा।
- एक वितीय वर्ष में कम से कम रूपए 250 / तथा अधिक से अधिक रूपए 1,50,000 / – जमा किए जा सकते हैं।
- इसमें सभी अन्य छोटी बचत योजनाओं से ज्यादा ब्याज दर दी जा रही है।
- 🕨 धारा 80 सी के तहत आयकर छूट भी उपलब्ध है।

(स्त्रोत : सुकन्या समृद्धि योजना / नेशनल पोर्टल)

4 सरकारी योजनाएं (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) :

p. सेवानिवृति के बाद वरिष्ठ नागरिकबचत योजनाः

- यह केवल वरिष्ठ नागरिकों अर्थात् 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वालों के लिए है।
- कोई भी व्यक्ति किसी भी जमा कार्यालय पर आयु प्रमाण पत्र तथा एक हजार रूपए के गुणांक में जमा राशि के साथ फार्म 'क' में आवेदन करके खाता खोल सकता है।
- एक व्यक्ति इस शर्त के अधीन एक से अधिक खाते संचालित कर सकता है कि सभी खातों में जमा 15 लाख

- together shall not exceed the maximum limit of Rs.15 lakhs and provided that deposits by depositors shall be restricted to the retirement benefits or Rupees Fifteen lakhs whichever is lower.
- > A depositor may open the account in individual capacity or jointly with spouse.

(Source: www.sbi.co.in)

- की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए तथा जमा कर्ताओं द्वारा प्रदत्त जमा सेवानिवृति फायदों अथवा 15 लाख, जो भी कम हो तक सीमित रहनाचाहिए।
- जमाकर्ता व्यक्तिगत क्षमता अथवा पति/पत्नी के साथ संयुक्त खाता भी खोल सकता है।

(स्त्रोत : www.sbi.co.in)